

THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

(Act No. 9 of 1932)

[8th April, 1932]

An Act to define and amend the law relating to partnership.

Whereas it is expedient to define and amend the law relating to partnership; It is hereby enacted as follows:—

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Indian Partnership Act, 1932.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall come into force on the 1st day of October, 1932, except Section 69, which shall come into force on the 1st day of October, 1933.

2. Definitions.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

- (a) an "act of a firm" means any act or omission by all the partners, or by any partner or agent of the firm which gives rise to a right enforceable by or against the firm;
 - (b) "business" includes every trade, occupation and profession;
 - (c) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
 - (d) "third party" used in relation to a firm or to a partner therein means any person who is not a partner in the firm; and
 - (e) expressions used but not defined in this Act and defined in the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), shall have the meanings assigned to them in that Act.
3. Application of provisions of Act 9 of 1872.—The unrepealed provisions of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this Act, shall continue to apply to firms.

NOTES

No limitation period for seeking partition of share.—There is no limitation period prescribed for seeking partition of his share by the purchaser from co-share after remaining in joint possession of the property.—Moin Khan and others v. Amin Zema Khan and others, AIR 2005 (NOC) 47 (Jha).

CHAPTER II THE NATURE OF PARTNERSHIP

4. Definition of "partnership", "partner", "firm" and "firm name".—"Partnership" is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all.

(8)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

(1932 का अधिनियम संख्यांक 9)

[8 अप्रैल, 1932]

भागीदारी से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम

भागीदारी से सम्बन्धित विधि को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है—

अध्याय 1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह सन् 1952 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा, सिवाय धारा 69 के, जो सन् 1933 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो—

- (क) "फर्म का कार्य" से फर्म के सब भागीदारों या किसी भागीदार या किसी अधिकारी का कोई भी कार्य या लीज अभिप्रेत है जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उत्पन्न होता हो;
- (ख) "कारबार" के अन्तर्गत हर व्यापार, उद्योगिकता और वृत्ति आती है;
- (ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (घ) "पर-व्यक्ति" पद से जब यह किसी फर्म या उसके किसी भागीदार के संबंध में प्रयुक्त किया गया है ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो फर्म में भागीदार नहीं है; तथा
- (ङ) उन मर्तों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु इसमें परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदित हैं।

3. 1872 के अधिनियम संख्यांक 9 के उपबंधों का लागू होना—भारतीय सिविल अधिनियम, 1872 के अनिर्दिष्ट उपबन्ध वहाँ तक के सिवाय, जहाँ तक कि इस अधिनियम के अधिव्यक्त उपबन्धों से असंगत हैं, फर्मों को लागू होते रहेंगे।

टिप्पणियाँ

हिस्से के बँटवारे की माँग करने हेतु परिसीमा अवधि नहीं—सह-हिस्सेदार के क्रेता द्वारा सम्पत्ति के संयुक्त कब्जा में रहने के बाद अपने हिस्से का बँटवारा की माँग करने हेतु कोई परिसीमा की अवधि विहित नहीं है—मोहन खान एवं अन्य बनाम अमीन जेमा खान एवं अन्य, ए० आई० आर० 2005 एन० ओ० सी० 47 (आर०)।

अध्याय 2 भागीदारी की प्रकृति

4. "भागीदारी", "भागीदार", "फर्म" और "फर्म नाम" की परिभाषा—"भागीदारी" उन व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है, जिन्होंने किसी ऐसे कारबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है जो उन सबके द्वारा या उनमें से ऐसे किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है।

(8)

Persons who have entered into partnership with one another are called individually "partners" and collectively a "firm", and the name under which their business is carried on is called the "firm name".

NOTES

Document as joint venture agreement.—When the document in question has been titled as joint venture agreement the impugned order subjecting said document to stamp duty would be liable to be set aside.—Sanjay Kanubhai Patel v. Chief Controlling Revenue Authority and another, AIR 2005 Bom 57.

Experience of 'partner'.—Experience of 'partner' in doing particular work can be counted as experience of the 'firm' hence without considering the same, denial to issue tender documents is not proper.—M/s. C. K. Asati v. Union of India and 2 others, AIR 2005 MP 96.

5. Partnership not created by status.—The relation of partnership arises from contract and not from status;

and, in particular, the members of a Hindu undivided family carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business as such, are not partners in such business.

6. Mode of determining existence of partnership.—In determining whether a group of persons is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be had to the real relation between the parties, as shown by all relevant facts taken together.

Explanation 1.—The sharing of profits or of gross returns arising from property by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners.

Explanation 2.—The receipt by a person of a share of the profits of a business, or of a payment contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business, does not of itself make him a partner with the persons carrying on the business;

and, in particular, the receipt of such share or payment—

- (a) by a lender of money to persons engaged or about to engage in any business,
- (b) by a servant or agent as remuneration,
- (c) by the widow or child of a deceased partner, as annuity, or
- (d) by a previous owner or part owner of the business, as consideration for the sale of the goodwill or share thereof,

does not of itself make the receiver a partner with the persons carrying on the business.

7. Partnership at will.—Where no provision is made by contract between the partners for the duration of their partnership, or for the determination of their partnership, the partnership is "partnership at will."

8. Particular partnership.—A person may become a partner with another person in particular adventures or undertakings.

वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है, व्यक्ति: "भागीदारी" और सामूहिक रूप से "फर्म" कहलाते हैं और जिस नाम से उनका कारबार चलाया जाता है, वह "फर्म नाम" कहलाता है।

टिप्पणियाँ

संयुक्त उपक्रम करार सम्बन्धी दस्तावेज—जब प्रस्तावित दस्तावेज संयुक्त उपक्रम करार के रूप में अधिनामित हो तो उक्त दस्तावेज को स्टैम्प शुल्क के अधीन करने वाला आशेषित आदेश अपास्त किए जाने योग्य होगा—संजय कानुभाई पटेल बनाम चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी एवं एक अन्य, ए० आई० आर० 2005 बाम्बे 57।

'हिस्सेदार' का अनुभव—किसी विशिष्ट कार्य को करने में 'हिस्सेदार' का अनुभव 'फर्म' के अनुभव के रूप में माना जा सकता है अतएव उस पर विचार किए बिना निविदा दस्तावेज जारी करने से इनकार करना उचित नहीं होता है—मेसर्स सी० के० आसती बनाम यूनिवर्स ऑफ इण्डिया एवं 2 अन्य, ए० आई० आर० 2005 म० प्र० 96।

5. भागीदारी प्राप्ति से सृष्ट नहीं होती—भागीदारी सम्बन्ध संविदा से उद्भूत होता है, प्राप्ति से नहीं;

और विशेषकर हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य जो उस हैसियत में कौटुंबिक कारबार चलाते हैं, या बर्मा बौद्ध पति और पत्नी, जो उस हैसियत में कारबार चलाते हैं, ऐसे कारबार में भागीदार नहीं हैं।

6. भागीदारी के अस्तित्व के अवधारणा का ढंग—यह अवधारणा करने में कि व्यक्तियों का कोई समूह फर्म है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी फर्म में भागीदार है या नहीं, पक्षकारों के बीच के उस वास्तविक संबंध का ध्यान रखा जाएगा जो सब सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेने से दर्शित होता है।

स्पष्टीकरण 1—संपत्ति से उद्भूत लाभों या कुल प्रत्यागमों का उस संपत्ति में संयुक्त या सामान्य हिस्से रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंश पाना स्वयमेव ऐसे व्यक्तियों को भागीदार नहीं बना देता;

स्पष्टीकरण 2—किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारबार के लाभों में से किसी अंश को या किसी कारबार में लाभ उपार्जित होने पर समाश्रित, या उपार्जित हुए लाभों के अनुसार घटने-बढ़ने वाले किसी संदाय को प्राप्ति स्वयमेव उस कारबार को चलाने वालों का भागीदार नहीं बना देती;

और विशिष्टतया—

- (क) ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देने वाले द्वारा जो किसी कारबार में लगे हुए या लगने ही वाले हैं,
- (ख) किसी सेवक या अधिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक के रूप में,
- (ग) किसी मृत भागीदार को विधवा या अपत्य द्वारा वार्षिकी के रूप में, अथवा
- (घ) कारबार के किसी पूर्वतन स्वामी या भागिक स्वामी द्वारा उस कारबार के गुडविल या अंश के विक्रय के प्रतिफलस्वरूप,

ऐसे अंश या संदाय को प्राप्ति पाने वाले को उस कारबार को चलाने वाले व्यक्तियों का स्वयमेव भागीदार नहीं बना देती।

7. इच्छाधीन भागीदारी—जहाँ कि भागीदारों के बीच कोई संविदा द्वारा उनकी भागीदारी को अस्तित्वावधि के लिए या उनकी भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, वहाँ वह भागीदारी "इच्छाधीन भागीदारी" है।

8. विशिष्ट भागीदारी—कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्योग अथवा उपक्रमों में भागीदार बन सकता है।

CHAPTER III

RELATIONS OF PARTNERS TO ONE ANOTHER

9. General duties of partners.—Partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, to be just and faithful to each other, and to render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative.

10. Duty to indemnify for loss caused by fraud.—Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm.

11. Determination of rights and duties of partners by contract between the partners.—(1) Subject to the provisions of this Act, the mutual rights and duties of the partners of a firm may be determined by contract between the partners, and such contract may be expressed or may be implied by a course of dealing.

Such contract may be varied by consent of all the partners, and such consent may be expressed or may be implied by a course of dealing.

(2) *Agreements in restraints of trade.*—Notwithstanding anything contained in Section 27 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner.

NOTES

Joint account holder can decide to stop transaction.—Where joint account with the Bank was opened with specific instruction to operator the account that one of such joint account holders can decide to stop transaction in view of subsequent dispute the Bank can stop transaction on such instruction.

12. The conduct of the business.—Subject to contract between the partners—

- every partner has a right to take part in the conduct of the business;
- every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of the business;
- any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by a majority of the partners, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in the nature of the business without the consent of all the partners; and
- every partner has a right to have access to and to inspect and copy and of the books of the firm.

13. Mutual rights and liabilities.—Subject to contract between the partners—

- a partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business;
- the partners are entitled to share equally in the profits earned, and shall contribute equally to the losses sustained by the firm;

अध्याय 3

भागीदारों के एक दूसरे के प्रति सम्बन्ध

9. भागीदारों के साधारण कर्तव्य—भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म के कारबार को चलाने, एक दूसरे के प्रति विश्वासपात्रता और वफादार रहने, तथा हर भागीदार या उसके विशिष्ट प्रतिनिधि का सच्चा लेखा और फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों की पूरी जानकारी देने के लिए आवद्ध है।

10. कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य—हर भागीदार उस हर हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई हो।

11. भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संधिदा द्वारा होगा—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अपवादों के अभाव में यह है कि फर्म के भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संधिदा द्वारा किया जा सकेगा और ऐसी संधिदा अधिव्यक्ति हो सकेगी या व्यवहार चर्चा से विवक्षित हो सकेगी।

ऐसी संधिदा में फेरफार सब भागीदारों की सम्मति से किया जा सकेगा और ऐसी सम्मति अधिव्यक्त हो सकेगी या व्यवहार चर्चा से विवक्षित हो सकेगी।

(2) *व्यापार अवरोधी करार*—भारतीय संधिदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी संधिदाएं उपबन्ध कर सकेगी कि कोई भागीदार, जब तक वह भागीदार रहे, फर्म के कारबार के सिवाय कोई और कारबार नहीं करेगा।

टिप्पणियाँ

संयुक्त खाताधारक संव्यवहार रोकने का निर्णय कर सकता है—जहाँ पर बैंक में खाता प्रचालन के लिए इस विनिर्दिष्ट अनुरोध के साथ खाता खोला गया हो कि कोई एक खाताधारक परचातवर्ती विवाद के कारण संव्यवहार रोकने का निर्णय कर सकता है, वहाँ पर बैंक ऐसे अनुरोध के आधार पर संव्यवहार रोक सकता है।

12. कारबार का संचालन—भागीदारों के बीच की संधिदा के अपवादों यह है कि—

- हर भागीदार को कारबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है,
- हर भागीदार आवद्ध है कि वह कारबार के संचालन में अपने कर्तव्यों का तत्परतापूर्वक पालन करे,
- कारबार से संसक्त मामूली बातों के बारे में उद्भूत किसी भी मतभेद का विनिश्चय भागीदारों के बहुमत से किया जा सकेगा और हर भागीदार को इससे पहले कि नामले का विनिश्चय हो अपनी राय अधिव्यक्त करने का अधिकार होगा, किन्तु कारबार की प्रकृति में कोई भी तब्दीली सब भागीदारों की सम्मति के बिना नहीं की जा सकेगी, तथा
- हर भागीदार को फर्म की बाहियों में किसी भी वही तक पहुँच का और उसका निरीक्षण और उसकी नकल करने का अधिकार है।

13. पारस्परिक अधिकार और दायित्व—भागीदारों के बीच की संधिदा के अपवादों यह है कि—

- भागीदार कारबार के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है,
- भागीदार उर्जाजित लाभ में समानता: अंश पाने के हकदार हैं और फर्म को हु हानियों में समानता: अधिदाय करेंगे,

Sect

- (c) where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profits;
- (d) a partner making, for the purposes of the business, any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe, is entitled to interest thereon at the rate of six percent per annum;
- (e) the firm shall indemnify a partner in respect of payments made and liabilities incurred by him—
- (i) in the ordinary and proper conduct of the business; and
- (ii) in doing such act in an emergency, for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence, in his own case, under similar circumstances; and
- (f) a partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his wilful neglect in the conduct of the business of the firm.
- 14. The property of the firm.**—Subject to contract between the partners, the property of the firm includes all property and rights and interests in property originally brought into the stock of the firm, or acquired, by purchase or otherwise, by or for the firm, or for the purposes and in the course of the business of the firm, and includes also the goodwill of the business.
- Unless the contrary intention appears, property and rights and interests in property acquired with money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm.

NOTES

Deposit made by non-partners.—A deposit made by the non-partners of the firm cannot be blended with partnership funds, as the firm is only a trustee with regard to such deposit which is to be kept apart and not to be mixed up with partnership funds.—Rajesh Kumar Agarwal v. Virendra Kumar Agarwal, 1994 (2) AWC 961.

15. Application of the property of the firm.—Subject to contract between the partners, the property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purposes of the business.

16. Personal profits named by partners.—Subject to contract between the partners—

- (a) if a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm, or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm;
- (b) if a partner carries on any business of the same nature as and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business.

17. Rights and duties of partners.—Subject to contract between the partners—

- (a) **After a change in the firm.**—Where a change occurs in the constitution of a firm, the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change, as far as may be;

- (11) जहाँ कि कोई भागीदार अपनी लगाई हुई पूँजी पर व्याज पाने का हकदार है, वहाँ ऐसे व्याज केवल लाभों में से ही संदाय होगा,
- (12) कोई भी भागीदार जो ऐसे पूँजी के अतिरिक्त, बिना लागाने का कारण उसने उस कारखाने के प्रयोजनों के लिए किया है, कोई संदाय या अधिदाय करता है, उस पर उसका अतिरिक्त प्रतिबन्ध की वश से व्याज पाने का हकदार है,
- (13) भागीदार द्वारा निष्कर्षित/विगत में किए गए संदायों या उपगत दायित्वों को याचन फर्म उसकी क्षतिपूर्ति करेगी—
- (i) उस कारखाने का मामूली और अधिन संचालन, तथा
- (ii) कतिन से फर्म की संरक्षा करने के प्रयोजन से आयात में ऐसा कार्य करना जैसा मामूली पूँजी वाले व्यक्ति द्वारा अपने मामले में किसी ही परिस्थितियों में किया जाता; तथा
- (14) भागीदार उस कतिन के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारखाने के संचालन में जानबूझकर उसके द्वारा की गई उपेक्षा से फर्म को कालित हुई हो।
- 14. फर्म की सम्पत्ति**—भागीदारों के बीच की सौविदा के अध्याधीन यह है कि फर्म की सम्पत्ति के अन्तर्गत फर्म के स्टॉक में मूलतः लाई गई या फर्म द्वारा या फर्म के लिए या फर्म के कारखाने के प्रयोजनार्थ और अनुक्रम में क्रम द्वारा या अन्यथा अर्जित सब सम्पत्ति और सम्पत्ति में के अधिकार और हित आते हैं और इसके अन्तर्गत कारखाने का गुडविल भी आता है।
- जब तक कि तत्रातिरिक्त आरय न हो, फर्म के धन में अर्जित सम्पत्ति और संपत्ति में के अधिकार और हित फर्म के लिए ही अर्जित समझे जाते हैं।

टिप्पणियाँ

नै-साझीदार द्वारा जमा—फर्म के नै-साझीदार द्वारा किया गया जमा साझेदारों फर्म की निधि में मिश्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि फर्म ऐसे जमा के सम्बन्ध में केवल न्यूसी होता है जो कि अलग रखा जाता है न कि साझेदारों निधि में मिश्रित किया जाता है—राजेश कुमार अग्रवाल बनाम विरोध कुमार अग्रवाल, 1994 (2) ए० डब्ल्यू० सी० 961।

15. फर्म की सम्पत्ति का उपयोग—भागीदारों के बीच की सौविदा के अध्याधीन यह है कि फर्म की संपत्ति भागीदारों द्वारा अनन्यतः कारखाने के प्रयोजनों के लिए धारित और उपयोगित की जाएगी।

16. भागीदारों द्वारा उपाजित वैयक्तिक लाभ—भागीदारों के बीच की सौविदा के अध्याधीन यह है कि—

- (क) यदि कोई भागीदार फर्म के किसी सम्बन्धकार से या फर्म को संपत्ति या कारखाने संबंध या फर्म नाम के उपयोग से अपने लिए कोई लाभ व्युत्पन्न करता है, तो वह उस लाभ का लेखा-जोखा फर्म को देगा और लाभ का संदाय फर्म को करेगा;
- (ख) यदि कोई भागीदार फर्म के कारखाने को ही एकत्रित का और प्रतियोगी कोई कारखाने चलाता है, तो वह उस कारखाने में अपने को हुए सब लाभों का लेखा-जोखा फर्म को देगा और उन सब लाभों का फर्म को संदाय करेगा।

17. भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य—भागीदारों के बीच की सौविदा के अध्याधीन यह है कि—

- (क) **फर्म में तब्दीली होने के फलस्वरूप**—जहाँ कि फर्म के गठन में कोई तब्दीली घटित होती है, वहाँ पुनर्गठित फर्म में भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य याचन/शक्य वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे उस तब्दीली के अन्वयवर्तित पूर्व थे;

- (b) *After the expiry of the term of the firm.*—Where a firm constituted for a fixed term continues to carry on business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incidents of partnership at will; and
- (c) *Where additional undertakings are carried out.*—Where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertakings carries out other adventures or undertakings, the mutual rights and duties of the partners in respect of the other adventures or undertakings are the same as those in respect of the original adventures or undertakings.

CHAPTER IV

RELATIONS OF PARTNERS TO THIRD PARTIES

18. Partners to be agent of the firm.—Subject to the provisions of this Act, a partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm.

19. Implied authority of partner as agent of the firm.—(1) Subject to the provisions of Section 22, the act of a partner which is done to carry on, in the usual way, business of the kind carried on by the firm, binds the firm.

The authority of a partner to bind the firm conferred by this section is called his "implied authority."

(2) In the absence of any usage or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not empower him to—

- submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration,
- open a banking account on behalf of the firm in his own name,
- compromise or relinquish any claim or portion of a claim by the firm,
- withdraw a suit or proceeding filed on behalf of the firm,
- admit any liability in a suit or proceeding against the firm,
- acquire immovable property on behalf of the firm,
- transfer immovable property belonging to the firm, or
- enter into partnership on behalf of the firm.

NOTES

Validity of notice.—In a suit for eviction by the partnership firm, the notice sent by only one of the partners in the name of firm would be valid in case other partners have not objected the same.—Punjab and Sindh Bank and another v. M/s. Manoran Agencies, ALJ 2008 (NOC) 963 (All).

20. Extension and restriction of partner's implied authority.—The partners in a firm may, by contract between the partners, extend or restrict the implied authority of any partner.

Notwithstanding any such restriction, any act done by a partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm, unless the person with whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that partner to be a partner.

- (ख) **फर्म की अवधि के अवसान के पर्याप्त और**—जहाँ कि नियत अवधि के लिए गठित फर्म उस अवधि के अवसान के पर्याप्त कारण चलती रहती है, वहाँ भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य जहाँ तक कि वे इच्छाधीन भागीदारी की प्रसंगितियों से संगत हों वैसे ही बने रहते हैं; जैसे वे अवसान के पूर्व थे; तथा
- (ग) **जहाँ कि अतिरिक्त उपक्रम किए गए हों**—जहाँ कि एक या एक से अधिक प्रोद्योग या उपक्रम चलाने के लिए गठित फर्म अन्य प्रोद्योग या उपक्रम चलती है, वहाँ उन अन्य प्रोद्योगों या उपक्रमों के बारे में भागीदारों के वे ही पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो मूल प्रोद्योगों या उपक्रमों के बारे में हों।

अध्याय 4

पर-व्यक्तियों से भागीदारों के सम्बन्ध

18. भागीदार फर्म का अभिकर्ता है—इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन यह है कि भागीदार फर्म के कारबार के प्रयोजनों के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है।

19. भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नाते विवक्षित प्राधिकार—(1) धारा 22 के उपबन्धों के अध्याधीन यह है कि भागीदार का ऐसा कार्य, जो उस फर्म के कारबार को, जैसा फर्म चलती है, प्राधिकारी के लिए किया गया है, फर्म को आवद्ध करता है।

फर्म को आवद्ध करने का भागीदार का प्राधिकार जो इस धारा प्रदत्त है, उसका "विवक्षित प्राधिकार" कहलाता है।

(2) व्यापार की किसी तत्प्रातिकूल प्रथा या रूढ़ि के अभाव में, भागीदार का विवक्षित प्राधिकार उसे सशक्त नहीं करता है कि वह

- फर्म के कारबार से सम्बन्धित विवाद को मध्यस्थ के लिए निर्दिष्ट करे,
- फर्म की ओर से बैंक में स्वयं अपने नाम में खाते खोले,
- फर्म द्वारा किए गए किसी दावे या दावे के किसी भाग का समझौता करे या उसे त्याग दे,
- फर्म की ओर से फाइल किए गए किसी वाद या कार्यवाई का प्रत्याहरण करे,
- फर्म के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाई में कोई दायित्व स्वीकृत करे,
- फर्म की ओर से स्थावर सम्पत्ति अर्जित करे,
- फर्म को स्थावर सम्पत्ति अन्तर्गत करे, अथवा
- फर्म की ओर से भागीदारों में सम्मिलित हो।

टिप्पणियाँ

नोटिस की विधिमाम्यता—साझेदारी फर्म द्वारा बेदखली के वाद में किसी एक साझेदार द्वारा फर्म के नाम से प्रेषित की गयी नोटिस उस दशा में विधिमाम्य होगी यदि अन्य साझेदार उस सम्बन्ध में आपत्ति न किए हों—पंजाब एण्ड सिंध बैंक एवं एक अन्य बन्गम मेसर्स मनोरम एजेन्सीज, 2008 ए० एल० नो० (एन० ओ० सी०) 963 (इला०)।

20. भागीदार के विवक्षित प्राधिकार का विस्तारण और निर्बन्धन—फर्म के भागीदार भागीदारों के बीच की संधिदा द्वारा किसी भी भागीदार के विवक्षित प्राधिकार का विस्तारण या निर्बन्धन कर सकते हैं।

ऐसे किसी निर्बन्धन के होते हुए भी, भागीदार द्वारा फर्म की ओर से किया गया कोई भी कार्य, जो उसके विवक्षित प्राधिकार में आता है, फर्म को आवद्ध करता है, जब तक कि वह व्यक्ति जिसके साथ वह भागीदार व्यापार कर रहा है उस निर्बन्धन को जानता न हो या यह ज्ञान या विश्वास रखता है कि वह भागीदार भागीदार नहीं है।

NOTES

Liability of partners.—When the loan has been advanced to the firm through one of the partners, the other partners cannot be absolved from their liability to repay the loan.—State Bank of India v. M/s. Simko Engineering Works and others, AIR 2005 P&H 63.

21. Partner's authority in an emergency.—A partner has authority, in an emergency, to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence, in his own case, acting under similar circumstances, and such acts and bind the firm.

NOTES

Action of partner in the interest of firm's business.—The action of a partner must be in the interest of firm's business. If the business of the firm undergoes a change a partner cannot be permitted to do thing without the consent of other partners.—Abhai Singh v. Sanjai Singh, 1988 (2) AWC 761 : 1988 ALJ 734.

22. Mode of doing act to bind firm.—In order to bind a firm, an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name, or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm.

23. Effect of admissions by a partner.—An admission or representation made by a partner concerning the affairs of the firm is evidence against the firm, if it is made in the ordinary course of business.

24. Effect of notice to acting partner.—Notice to a partner who habitually acts in the business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm, except in the case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that partner.

25. Liability of a partner for acts of the firm.—Every partner is liable, jointly with all the other partners and also severally, for all acts of the firm done while he is a partner.

NOTES

Recovery of decretal amount.—Where a partner in a partnership firm has paid entire decretal amount passed against the firm and he has filed suit for recovery of half of amount against the other partner and the other partner has not denied the payment made by the said partner in his written statement, an adverse inference can be drawn against such partner.—K. A. Louiz and others v. A. A. Augustin, AIR 2005 Ker 1.

26. Liability of the firm for wrongful acts of a partner.—Where, by the wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of the business of a firm, or with the authority of his partners, loss or injury is caused to any third party, or any penalty is incurred, the firm is liable therefor to the same extent as the partner.

27. Liability of firm for misapplication by partners.—Where—

- (a) a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it, or

टिप्पणियाँ

हिस्सेदारों का दायित्व—जब किसी एक हिस्सेदार के माध्यम से फर्म को ऋण प्रदान किया गया हो तो अन्य हिस्सेदार ऋण को अदायगी करने के अपने दायित्व से बच नहीं सकते—भारतीय स्टेट बैंक बनाम मेर्स सिमको इंजीनियरिंग वर्क्स एवं अन्य, ए० आई० आर० 2005 पी० और हरि० 63।

21. भागीदार का आपात में प्राधिकार—भागीदार का आपात में यह प्राधिकार है कि वह हानि से फर्म को संरक्षा करने के प्रयोजन से ऐसे सब कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञा वाले व्यक्ति द्वारा अपने निजी मामले में वैसी ही परिस्थितियों में कार्य करते हुए किए जाते और ऐसे कार्य फर्म को आवद्ध करते हैं।

टिप्पणियाँ

साझेदार का कार्य फर्म के कारोबार के हित में—साझेदार का कार्य फर्म के कारोबार के हित में होना चाहिए। यदि फर्म के कारोबार में परिवर्तन होने वाला हो तो साझेदार को अन्य साझेदारों की सहमति के बिना कोई कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती—अभय सिंह बनाम संजय सिंह, 1988 (2) ए० डब्ल्यू० सी० 761 : 1988 ए० एल० जे० 734।

22. फर्म को आवद्ध करने के लिए कार्य करने का ढंग—इसलिए कि वह फर्म को आवद्ध करे, फर्म की ओर से भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या निष्पादित लिखत फर्म नाम में या किसी ऐसे अन्य प्रकार से, जिससे फर्म को आवद्ध करने का आशय अभिव्यक्त या विवक्षित होता हो, किया जाएगा या निष्पादित की जाएगा।

23. भागीदार द्वारा स्वीकृतियों का प्रभाव—भागीदार द्वारा फर्म के मामलों से सम्पृक्त स्वीकृति या व्यपदेशन फर्म के विरुद्ध साक्ष्य है, यदि वह कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया हो।

24. कार्यकारी भागीदार को दी गई सूचना का प्रभाव—जो भागीदार फर्म के कारबार में अभ्यासतः कार्य करता रहता है, उसे फर्म के मामलों से सम्बन्धित किसी बात की सूचना फर्म को दी गई सूचना का प्रभाव रखती है सिवाय उस दशा के, जब कि उस भागीदार द्वारा या उसकी सम्पत्ति से फर्म से कपट किया गया हो।

25. फर्म के कार्यों के लिए भागीदार का दायित्व—हर भागीदार, फर्म के ऐसे सब कार्यों के लिए जो उसके भागीदार रहते हुए किए जाते हैं, अन्य सब भागीदारों के साथ संयुक्तः दायी है और पृथक्ः भी।

टिप्पणियाँ

डक़ा की रकम की वसूली—जहाँ किसी साझेदारी फर्म का कोई हिस्सेदार फर्म के विरुद्ध पातित सम्पूर्ण डक़ा की रकम संदत्त कर दिया हो तथा उसने अन्य हिस्सेदार के विरुद्ध आधी रकम की वसूली के लिए बाद दायित्व किया हो तथा अन्य हिस्सेदार ने अपने लिखित अधिकथन में उक्त हिस्सेदार द्वारा संदत्त की गयी रकम के सम्बन्ध में इनकार न किया हो तो ऐसे हिस्सेदार के विरुद्ध विपरीत निकर्षण किया जा सकता है—के० ए० लॉउस एवं अन्य बनाम ए० ए० अगस्तिन, ए० आई० आर० 2005 केरल 1।

26. भागीदार के सदेव कार्यों के लिए फर्म का दायित्व—जहाँ कि किसी फर्म के कारबार के मामूली अनुक्रम में या भागीदारों के प्राधिकार से कार्य करते हुए भागीदार के सदेव कार्य या तोप से किसी पर-व्यक्ति को हानि या क्षति कारित होती है या कोई शास्ति उपगत होती है, या फर्म उसके लिए उसी विस्तार तक दायी है जहाँ तक कि वह भागीदार है।

27. भागीदारों द्वारा दुरुपयोजन के लिए फर्म का दायित्व—जहाँ कि—

- (क) भागीदार अपने दृश्यमान प्राधिकार के अन्दर कार्य करते हुए किसी पर व्यक्ति से धन या सम्पत्ति प्राप्त करता है और उसका दुरुपयोजन करता है, अथवा

(b) a firm in the course of its business receives money or property from a third party, and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm,

the firm is liable to make good the loss.

28. Holding out.—(1) Any one who by words spoken or written or by conduct represents himself, or knowingly permits himself to be represented, to be a partner in a firm, is liable as a partner in that firm to any one who has on the faith of any such representation given credit to the firm, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit.

(2) Where after a partner's death the business is continued in the old firm name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act of the firm done after his death.

NOTES

Recovery against partnership firm.—Where a suit for recovery has been filed against the first defendant initially as proprietary concern and subsequently has been described as partnership firm and defendants No. 2 to 5 as its partners, and said defendants have not explained letters and accounts books showing then as partners, first defendant would be treated as partnership firm and defendants No. 2 to 5 as partners.—M/s. Saravara Textiles Ltd. Kakinada v. M/s. N. Rajagopal and Co., Coimbatore and others, AIR 2005 NOC (AP) 571.

29. Rights of transferee of a partner's interest.—(1) A transfer by a partner of his interest in the firm, either absolute or by mortgage, or by the creation by him of a charge on such interest, does not entitle the transferee, during the continuance of the firm, to interfere in the conduct of the business, or to require accounts, or to inspect the books of the firm, but entitles the transferee only to receive the share of profits of the transferring partner, and the transferee shall accept the account of profits agreed to by the partners.

(2) If the firm is dissolved or if the transferring partner ceases to be a partner, the transferee is entitled as against the remaining partners to receive the share of the assets of the firm to which the transferring partner is entitled, and, for the purpose of ascertaining that share, to an account as from the date of the dissolution.

30. Minors admitted to the benefits of partnership.—(1) A person who is a minor according to the law to which he is subject may not be a partner in a firm, but, with the consent of all the partners for the time being, he may be admitted to the benefits of partnership.

(2) Such minor has a right to such share of the property and of the profits of the firm as may be agreed upon, and he may have access to and inspect and copy any of the accounts of the firm.

(3) Such minor's share is liable for the acts of the firm, but the minor is not personally liable for any such act.

(4) Such minor may not sue the partners for an account or payment of his share of the property or profits of the firm, save when severing his

(ख) फर्म अपने कारबार के अनुक्रम में किसी पर व्यक्ति से धन या सम्पत्ति प्राप्त करती है और भागीदारों में से कोई उम धन या सम्पत्ति का, जब वह फर्म की अभिरक्षा में है, दुरुपयोगन करता है,

वहाँ फर्म हानि को प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।

28. व्यपदेशन.—(1) जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा यह व्यपदेशन करता है या जानकर यह व्यपदेशन किया जाने देता है कि वह किसी फर्म में भागीदार है, वह उस फर्म के भागीदार के नाते ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति दायी है जिसने ऐसे किसी व्यपदेशन के भरोसे उस फर्म को प्रत्यय दिया है, चाहे वह व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का व्यपदेशन किया है या भागीदार होने का व्यपदेशन किया गया है यह जान रखता हो या नहीं कि वह व्यपदेशन ऐसे प्रत्यय देने वाले व्यक्ति तक पहुँचा है।

(2) जहाँ कि किसी भागीदार को मृत्यु के पश्चात् ही कारबार पुराने फर्म नाम से चालू रखा जाता है, वहाँ उस नाम का या मृतक भागीदार के नाम का उस कारबार के भागस्वरूप उपयोग किये जाने रहना स्वयम्बव उस मृतक भागीदार के विधिक प्रतिनिधि या उसकी सम्पदा को फर्म के ऐसे कार्य के लिए, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् किया गया हो, दायी नहीं बना देगा।

टिप्पणियाँ

साझेदारी फर्म के विकल्द वसूली.—जहाँ पर प्रथम प्रतिवादी के विरुद्ध प्रारम्भ में मौलिकाना प्रतिपदन के रूप में वसूली हेतु वाद दायित्व किया गया हो तथा बाद में उसे साझेदारी फर्म तथा प्रतिवादी सं० 2 से 5 को उसके हिस्सेदार के रूप में बतौर किया गया हो तथा उक्त प्रतिवादीयों ने उन्हें हिस्सेदार दर्शाने वाले पत्रों तथा लेखा बहियों का स्पष्टीकरण न दिया हो तो प्रथम प्रतिवादी साझेदारी फर्म तथा प्रतिवादी सं० 2 से 5 उसके हिस्सेदार के रूप में माने जायेंगे—मेसर्स सरवार्य टेक्सटाइल्स लि०. कार्कोनाडा बनम मेसर्स राजा गोपाल एण्ड कम्पनी, कोयम्बटूर एवं अन्य, ए० आई० आर० 2005 एन० ओ० सी० (आ० प्र०) 571।

29. भागीदार के हित के अन्तरीती के अधिकार.—(1) किसी भागीदार द्वारा फर्म में अपने हित का आर्थान्तिक रूप से या बन्धक द्वारा, या ऐसे हित पर अपने द्वारा किसी भार के सृजन द्वारा किया गया अन्तरण अन्तरीती को फर्म के चालू रहने तक यह हक नहीं देता कि वह फर्म के कारबार के संचालन में हस्तक्षेप करे या लेखा अपेक्षित करे या फर्म की बहियों का निरीक्षण करे, किन्तु वह अन्तरीती को केवल यह हक देता है कि वह अन्तरक भागीदार के लाभों का अंश प्राप्त करे तथा भागीदारों द्वारा माना गया लाभों का लेखा अन्तरीती प्रतिगृहीत करेगा।

(2) यदि फर्म विघटित कर दी जाती है या अन्तरक-भागीदार भागीदार नहीं रह जाता, तो अन्तरीती शेष भागीदारों के मुकाबले फर्म की अस्तियों में वह अंश जिसका अन्तरक-भागीदार हकदार है, पाने का और इस प्रयोजन से कि उस अंश को अभिनिश्चित किया जाए फर्म के विघटित होने की तारीख से लेखा लेने का हकदार है।

30. अप्राप्तवयों को भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कराना.—(1) वह व्यक्ति, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्याधीन है, अप्राप्तवय है, फर्म में भागीदार नहीं हो सकेगा, किन्तु सब तत्समय भागीदारों की सम्मति से उसे भागीदारी के फायदों में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(2) ऐसे अप्राप्तवय का अधिकार है कि वह फर्म की सम्पत्ति और लाभों का ऐसा अंश पाए जैसे करार का किया गया हो और फर्म के लेखाओं में किसी भी लेखे तक उसकी पहुँच हो सकेगी और वह उनमें से किसी का भी निरीक्षण और नकल कर सकेगी।

(3) ऐसे अप्राप्तवय का अंश फर्म के कार्यों के लिए दायी है किन्तु वह अप्राप्तवय ऐसे किसी कार्य के लिए वैयक्तिक रूप से दायी नहीं है।

(4) ऐसा अप्राप्तवय फर्म की सम्पत्ति या लाभों में के अपने अंश के लेखे के लिए या संदाय के लिए भागीदारों पर वाद नहीं ला सकेगा सिवाय जब कि वह फर्म से अपना सम्बन्ध विच्छेद करता हो

connection with the firm, and in such case the amount of his share shall be determined by a valuation made as far as possible in accordance with the rules contained in Section 48 :

Provided that all the partners acting together or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to other partners may elect in such suit as to dissolve the firm, and thereupon the Court shall proceed with the suit as one for dissolution and for settling accounts between the partners, and the amount of the share of the minor shall be determined along with the shares of the partners.

(5) At any time within six months of his attaining majority, or of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever date is later, such person may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards the firm :

Provided that, if he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said six months.

(6) Where any person has been admitted as a minor to the benefits of partnership in a firm, the burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of six months of his attaining majority shall lie on the persons asserting that fact.

(7) Where such person becomes a partner,—

(a) his rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he becomes a partner, but he also becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership, and

(b) his share in the property and profits of the firm shall be the share to which he was entitled as a minor.

(8) Where such person elects not to become a partner,—

(a) his rights and liabilities shall continue to be those of a minor under this section up to the date on which he gives public notice.

(b) his share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of the notice, and

(c) he shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits in accordance with sub-section (4).

(9) Nothing in sub-sections (7) and (8) shall affect the provisions of Section 28.

CHAPTER V

INCOMING AND OUTGOING PARTNERS

31. Introduction of a partner.—(1) Subject to contract between the partners and to the provisions of Section 30, no person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners.

(2) Subject to the provisions of Section 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any act of the firm done before he became a partner.

और ऐसी दशा में उसके अंश को रकम का अवधारण ऐसे मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा जो यावत्प्रभव धारा 48 में अन्तर्बिष्ट नियमों के अनुसार किया गया हो :

परन्तु ऐसे वाद में फर्म के विघटन का निर्वाचन, सब भागीदार एक साथ कार्य करते हुए, या फर्म का विघटन करने का हकदार कोई भी भागीदार, दूसरे भागीदारों को सूचना देकर कर सकेगा और तदुपरि न्यायलय उस वाद में ऐसे कार्यवाही करेगा मानो वह वाद विघटन के लिए और भागीदारों के बीच लेखा परिनिधारण के लिए हो और अप्राप्तवय के अंश को रकम को भागीदारों के अंशों के साथ-साथ अवधारित किया जाएगा।

(5) उसके प्राप्तवय हो जाने की तारीख और उसे यह ज्ञान कि वह भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया है अभिप्राप्त हो जाने की तारीख में से जो भी पश्चात् की तारीख हो उसके छह मास के अन्दर किसी भी समय ऐसा व्यक्ति यह लोक सूचना दे सकेगा कि उसने फर्म में भागीदार होने का निर्वाचन या न होने का निर्वाचन कर लिया है और ऐसी सूचना उसकी फर्म विपयक स्थिति का अवधारण करेगी :

परन्तु यदि वह ऐसी सूचना देने में असफल रहता है तो वह उक्त छह मास के अवसान होते ही फर्म में भागीदार हो जाएगा।

(6) जहाँ कि कोई व्यक्ति एक अप्राप्तवय के तौर पर फर्म की भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया है, वहाँ इस तथ्य को उस व्यक्ति को ऐसे सम्मिलित किए जाने का ज्ञान उसके प्राप्तवय हो जाने से छह मास के अवसान के पश्चात् किसी विशिष्ट तारीख तक नहीं था, साबित करने का भार उस तथ्य का प्राख्यान करने वाले व्यक्तियों पर होगा।

(7) जहाँ कि ऐसा व्यक्ति भागीदार हो जाता है, वहाँ—

(क) अप्राप्तवय के नाते उसके अधिकार और दायित्व उस तारीख तक बने रहते हैं जिस तारीख को वह भागीदार होता है किन्तु वह उन सब फर्म के कार्यों के लिए, जो भागीदारी के फायदों में उसके सम्मिलित किए जाने के समय से किए गए हैं, पर-व्यक्तियों के प्रति वैयक्तिक रूप से दायी भी हो जाता है, तथा

(ख) फर्म की सम्पत्ति और लाभों में उसका अंश वह अंश होगा जिसका वह अप्राप्तवय के तौर पर हकदार था।

(8) जहाँ कि ऐसा व्यक्ति भागीदार न होने का निर्वाचन करता है, वहाँ—

(क) उसके अधिकार और दायित्व उसके द्वारा लोक सूचना दिए जाने की तारीख तक बने रहेंगे जो अप्राप्तवय के इस धारा के अधीन हैं;

(ख) उसका अंश सूचना की तारीख के पश्चात् किए गए फर्म के किन्हीं भी कार्यों के लिए दायी नहीं होगा; तथा

(ग) सम्पत्ति और लाभों में के अपने अंश के लिए वह भागीदारों पर उपधारा (4) के अनुसार वाद लाने का हकदार होगा।

(9) उपधारा (7) और (8) की कोई भी बात धारा 28 के उपबन्धों पर प्रभाव न डालेगी।

अध्याय 5

अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले भागीदार

31. भागीदार का प्रविष्ट किया जाना—(1) भागीदारों के बीच की सविदा और धारा 30 के उपबन्धों के अधधीन यह है कि कोई भी व्यक्ति सब वर्तमान भागीदारों की सम्पत्ति के बिना फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 30 के उपबन्धों के अधधीन यह है कि जो व्यक्ति फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट किया गया है तद्द्वारा वह उसके भागीदार होने से पूर्व किए गए किसी भी फर्म के कार्य के लिए दायी नहीं हो जाता।

32. Retirement of a partner.—(1) A partner may retire—

- with the consent of all the other partners,
- in accordance with an express agreement by the partners, or
- where the partnership is at will, by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire.

(2) A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by a course of dealing between such third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement.

(3) Notwithstanding the retirement of a partner from a firm, he and the partners continue to be liable as partners to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement, until public notice is given of the retirement:

Provided that a retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a partner.

(4) Notices under sub-section (3) may be given by the retired partner or by any partner of the reconstituted firm.

NOTES

Public Notice.—The absence of public notice will not destroy efficacy of the deed of withdrawal from partnership—*Jai Ram Agarwal v. Vilth Addl. District Judge, Alld., 1988 (1) AWC 167 : 1987 (2) ARC 506.*

33. Expulsion of a partner.—(1) A partner may not be expelled from a firm by any majority of the partners, save in the exercise in good faith of powers conferred by contract between the partners.

(2) The provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 32 shall apply to an expelled partner as if he were a retired partner.

34. Insolvency of a partner.—(1) Where a partner in a firm is adjudicated an insolvent he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is hereby dissolved.

(2) Where under a contract between the partners the firm is not dissolved by the adjudication of a partner as an insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm and the firm is not liable for any act of the insolvent, done after the date on which the order of adjudication is made.

35. Liability of estate of deceased partner.—Where under a contract between the partners the firm is not dissolved by the death of a partner, the estate of a deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death.

36. Rights of outgoing partner to carry on competing business.—(1) An outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm and he may advertise such business, but, subject to contract to the contrary, he may not—

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

32. भागीदार का निवृत्त होना—(1) भागीदारी—

- अन्य सब भागीदारों की सम्मति से,
- जहाँ कि भागीदारी इच्छार्थीन है, वहाँ अन्य सब भागीदारों को अपने निवृत्त होने के आशय की लिखित सूचना द्वारा, निवृत्त हो सकना।

(2) निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन से पहले किए गए फर्म के कार्यों के लिए किसी पर व्यक्ति के प्रति किसी दायित्व से ऐसे करार द्वारा, जो ऐसे पर व्यक्ति और पुनर्गठित फर्म के भागीदारों के साथ उसने किया हो, उन्मोचित किया जा सकेगा और ऐसा करार ऐसे पर व्यक्ति को उस निवर्तन का ज्ञान होने के पर्यन्त की उसके और पुनर्गठित फर्म के बीच की व्यवहार-चर्चा से विवक्षित हो सकेगा।

(3) फर्म से किसी भागीदार के निवृत्त होने पर भी, जब तक कि निवृत्त होने की लोक सूचना न दी गई हो, वह और भागीदार उनमें से किसी के द्वारा भी किए गए ऐसे कार्य के लिए, जो उस निवर्तन के पहले किए जाने पर फर्म का कार्य होता, पर व्यक्तियों के प्रति भागीदारों के तौर पर दायी बने रहते हैं :

परन्तु निवृत्त भागीदार किसी ऐसे पर व्यक्ति के प्रति दायी नहीं होगा जो फर्म के साथ यह न जानते हुए व्यवहार करता है कि वह भागीदार था।

(4) उपधारा (3) के अधीन सूचनाएं निवृत्त होने वाले भागीदार द्वारा या पुनर्गठित फर्म के किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकेंगी।

टिप्पणियाँ

सार्वजनिक सूचना.—सार्वजनिक सूचना का अभाव साझेदारी से प्रत्याहरण के विलेख के प्रभावकारिता को नष्ट नहीं करेगा—*जय राम अग्रवाल बनाम पट्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद, 1988 (1) ए० डब्ल्यू० सी० 167 : 1987 (2) ए० सी० आर० 506।*

33. भागीदार का निष्कासन.—(1) भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के संदर्भपूर्वक प्रयोग में के सिवाय भागीदार फर्म में से भागीदारों की किसी भी बहुसंख्या द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकेगा।

(2) धारा 32 की उपधाराओं (2), (3) और (4) के उपबन्ध निष्कासित भागीदार को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह निवृत्त भागीदार हो।

34. भागीदार का दिवालता.—(1) जहाँ कि फर्म का कोई भागीदार दिवालित्या न्यायनिर्णित कर दिया जाता है, वहाँ उस तारीख से जिसकी न्यायनिर्णयन का आदेश हुआ हो भागीदार नहीं होगा वहाँ तद्विधवा फर्म विघटित हो या न हो।

(2) जहाँ कि किसी भागीदार के दिवालित्या न्यायनिर्णित किए जाने पर फर्म भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन विघटित नहीं होती, वहाँ उसी न्यायनिर्णित भागीदार की सम्पदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए, और फर्म उस दिवालित् के किसी ऐसे कार्य के लिए दायी नहीं है जो उस तारीख के पर्यन्त किया गया हो जिस तारीख को न्यायनिर्णयन का आदेश दिया गया है।

35. मृत भागीदार की सम्पदा का दायित्व.—जहाँ कि किसी भागीदार की मृत्यु द्वारा भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन फर्म विघटित नहीं होती, वहाँ मृत भागीदार को सम्पदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए, जो उसकी मृत्यु के पर्यन्त किया गया हो, दायी नहीं है।

36. बाहर जाने वाले भागीदार को प्रतियोगिता कारबार चलाने का अधिकार व्यापार अवरोधक करार.—(1) बाहर जाने वाले भागीदार फर्म के कारबार का प्रतियोगी कारबार चला सकेगा, और वह ऐसे कारबार का विज्ञापन कर सकेगा, किन्तु तत्परिवृत्त संविदा के अधीन वह—

- (a) use the firm name, or
(b) represent himself as carrying on the business of the firm, or
(c) solicit the custom of persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner.

(2) *Agreements in restraint of trade.*—A partner may make an agreement with his partners that on ceasing to be a partner he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits; and, notwithstanding anything contained in Section 27 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable.

37. *Right of outgoing partner in certain cases to share subsequent profits.*—Where any member of a firm has died or otherwise ceased to be a partner, and the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of accounts as between them and the outgoing partner or his estate, then, in the absence of a contract to the contrary, the outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself or his representatives to such share of the profits made since he ceased to be a partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm or to interest at the rate of six percent, per annum on the amount of his share in the property of the firm:

Provided that where by contract between the partners an option is given to surviving or continuing partners to purchase the interest of a deceased or outgoing partner, and that option is duly exercised, the estate of the deceased partner, or the outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or other share of profits; but if any partner assuming to act in exercise of the option does not in all material respects comply with the terms thereof, he is liable to account under the foregoing provisions of this section.

38. *Revocation of continuing guarantee by change in firm.*—A continuing guarantee given to a firm, or to a third party in respect of the transactions of a firm, is, in the absence of agreement to the contrary, revoked as to future transactions from the date of any change in the constitution of the firm.

CHAPTER VI

DISSOLUTION OF A FIRM

39. *Dissolution of a firm.*—The dissolution of partnership between all the partners of a firm is called the "dissolution of the firm."

40. *Dissolution by agreement.*—A firm may be dissolved with the consent of all the partners or in accordance with a contract between the partners.

NOTES

Dissolution of partnership.—Partnership can be dissolved with the consent of all the parties.—Sri Kishan Gupta v. Ram Babu Gupta, 1990 (1) AWC 398.

41. *Compulsory dissolution.*—A firm is dissolved—

- (a) by the adjudication of all the partners or of all the partners but one as insolvent, or

- (क) फर्म नाम का उपयोग न कर सकना,
(ख) अपने को फर्म का कारबार चलाने वाला व्यक्तित्व न कर सकना,
(ग) उन व्यक्तियों से जो उसकी भागीदारी का अंश हो जाने के पूर्व फर्म से ब्याहार करते थे अपने साथ ब्याहार करने की याचना करेगा।

(2) *व्यापार अंशरोधी करार.*—कोई भागीदार अपने भागीदारों के साथ यह करार कर सकेगा कि भागीदार न रहने पर वह किसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक या विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदस्य कोई कारबार नहीं चलाएगा और यदि अधिरोपित निबंधन युक्तिक्रम हो, तो भारतीय सर्वदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिवान्य होगा।

37. *कुछ दशाओं में बाहर जाने वाले भागीदार का पर्यन्तकालीन लाभों में अंश पाने का अधिकार.*—जहाँ कि फर्म का कोई सदस्य मर गया हो, या अन्यथा भागीदार न रह गया हो और उत्तरजीवी या बने रहे भागीदार अपने और बाहर जाने वाले भागीदार या उसकी सम्पदा के बीच लेखाओं का अन्तिम परिनिर्धारण किए बिना फर्म की सम्पत्ति से कारबार चलाते रहें, वहाँ बाहर जाने वाला भागीदार या उसकी सम्पदा, तत्प्रतिकूल सर्वदा के अभाव में उक्त भागीदार या उसके प्रतिनिधियों के विकल्प पर या तो उन लाभों का, जो उसके भागीदार न रह जाने के पर्यन्त हुए हों ऐसा अंश जो फर्म की सम्पत्ति में के उसके अंश के उपयोग के कारण हुआ माना जा सके या फर्म की सम्पत्ति में के उसके अंश की रकम पर छह प्रतिशत ब्याज पाने की हकदार होगी:

परन्तु जहाँ कि भागीदारों के बीच की सर्वदा के द्वारा उत्तरजीवी या बने रहे भागीदारों को मृत या बाहर जाने वाले भागीदार का हित खरीद लेने का विकल्प किया गया हो और उस विकल्प का सम्पन्न रूप से प्रयोग किया गया हो वहाँ, यथास्थिति, मृत भागीदार की सम्पदा अथवा बाहर वाले भागीदार या उसकी सम्पदा को लाभों का कोई अंश या अन्य अंश पाने का हक न होगा किन्तु यदि कोई भागीदार उस विकल्प का प्रयोग करने की धारणा से कार्य करते हुए सब तात्विक पहलुओं में उसके निबंधनों का अनुवर्तन न करे, तो वह इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन लेखा देने का दायी होगा।

38. *चलत प्रत्याभूति का फर्म में तब्दीली होने से प्रतिसंहरण.*—फर्म को फर्म के संबन्धवहारां के बारे में पर्य्यक्ति को दी गई चलत प्रत्याभूति, तत्प्रतिकूल करार के अभाव में, उस तारीख से, जिसको फर्म के गठन में कोई तब्दीली हुई हो, फर्म के भावी संबन्धवहारां के बारे में प्रतिसंहरत हो जाती है।

अध्याय 6

फर्म का विघटन

39. *फर्म का विघटन.*—फर्म के सब भागीदारों के बीच भागीदारी का विघटन "फर्म का विघटन" कहलाता है।

40. *करार द्वारा विघटन.*—फर्म सब भागीदारों की सम्पत्ति से या भागीदारों के बीच की सर्वदा के अनुसार विघटित की जा सकती।

टिप्पणियाँ

साझेदारी का विघटन.—साझेदारी सभी पक्षों की सहमति से विघटित की जा सकती है—श्री किशन गुप्ता बनाम राम बाबू गुप्ता, 1990 (1) ए० डब्ल्यू० सी० 398।

41. *वैयर्थ्यक विघटन.*—फर्म विघटित हो जाती है—

- (क) सब भागीदारों के या एक के विवाय अन्य सब भागीदारों के दिवालिया न्यायनिर्णयों हो जाने से, अथवा

(b) by the happening of any event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry it on in partnership;

Provided that, where more than one separate adventure or undertaking is carried on by the firm, the illegality of one or more shall not of itself cause the dissolution of the firm in respect of its lawful adventures and undertakings.

42. Dissolution on the happening of certain contingencies.—Subject to contract between the partners, a firm is dissolved—

- if constituted for a fixed term, by the expiry of that term;
- if constituted to carry out one or more adventures or undertakings, by the completion thereof;
- by the death of a partner; and
- by the adjudication of a partner as an insolvent.

43. Dissolution by notice of partnership at will.—(1) Where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm.

(2) The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution or, if no date is so mentioned, as from the date of the communication of the notice.

NOTES

Appointment of receiver.—A receiver may be appointed only for the purpose of taking possession of goods of the partnership firm and to prepare inventory thereof.—Subhash Chandra Agarwal v. District Judge, Mathura, 1996 (1) AWC 262 : 1996 (2) ARC 216.

Dissolution of partnership.—When partnership stands dissolved and dispute is referred to the arbitrator, no partner has right to continue business or to forcibly oust other partners.—Ashok Kumar Mittal v. Ashwani Kumar and another, AIR 2005 Del 323.

No right to running business.—When a firm has been dissolved by a partner by giving notice, he can have no right in relation to the running business after dissolution.—Subhash Chandra Agarwal v. District Judge, Mathura, 1996 (1) AWC 262 : 1996 (2) ARC 216.

Notice of dissolution.—By giving notice of dissolution the partner of the firm cannot bring the partnership business to an end.—Anant Purushottam Athavale v. Govind Purushottam Athavale and others, AIR 2005 Bom 301.

44. Dissolution by the Court.—At the suit of a partner, the Court may dissolve a firm on any of the following grounds, namely :—

- that a partner has become of unsound mind, in which case the suit may be brought as well by the next friend of the partner who has become of unsound mind as by any other partner;
- that a partner, other than the partner suing, has become in any way permanently incapable of performing his duties as partner;

(ख) किसी ऐसी घटना से घटित होने से, जिससे फर्म का कारबार चलाना या भागीदारों का उसे भागीदारी में चलाना विधि विरुद्ध हो जाए :

परन्तु जहाँ कि फर्म द्वारा एक से अधिक पृथक् प्रोद्योग या उपक्रम चलाए जा रहे हों, वहाँ किसी एक या अधिक की अवैधता मात्र फर्म के विधिपूर्ण प्रोद्योगों और उपक्रमों के बारे में फर्म का विघटन कालि नहीं करेगी ।

42. किन्हीं अकस्मिकताओं के गठित होने पर विघटन—भागीदारों के बीच की संविदा के अधधीन यह है कि फर्म विघटित हो जाती है :—

- यदि वह किसी नियत अवधि के लिए गठित की गई हो, तो उस अवधि के अवसान से,
- यदि वह एक या अधिक प्रोद्योगों या उपक्रमों को चलाने के लिए गठित की गई हो तो उसके या उनके पूर्ण हो जाने से,
- किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने से, और
- किसी भागीदार के दिवालिया न्यायनिर्णित किए जाने से ।

43. इच्छाधीन भागीदारी का सूचना द्वारा विघटन—(1) जहाँ कि भागीदारी इच्छाधीन है, वहाँ किसी भागीदार द्वारा फर्म का विघटन अन्य सब भागीदारों को फर्म विघटित करने के अपने आशय की लिखित सूचना दिए जाने द्वारा किया जा सकेगा ।

(2) फर्म उस तारीख से, जो उस सूचना में विघटन की तारीख दी हुई है या यदि कोई तारीख नहीं दी हुई है, तो उस तारीख से, जिसकी सूचना संसूचित की गई है, विघटित हो जाती है ।

टिप्पणियाँ

प्रापक की नियुक्ति—प्रापक की नियुक्ति केवल साझेदारी फर्म की वस्तुओं का कब्जा लेने के उद्देश्य से की जा सकती है—सुभाष चन्द्र अग्रवाल बनाम जिला न्यायाधीश, मथुरा, 1996 (1) ए० डब्ल्यू० सी० 262 : 1996 (2) ए० आर० सी० 216 ।

साझेदारी का विघटन—जब साझेदारी विघटित हो गयी हो तथा विवाद माध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया गया हो तो साझेदार को कारोबार जारी रखने अथवा किसी अन्य साझेदार को जबरन बाहर करने का अधिकार नहीं होता है—अशोक कुमार मिश्र बनाम अश्वनी कपूर एवं एक अन्य, ए० आई० आर० 2005 दिल्ली 323 ।

कारोबार करने का अधिकार नहीं—जब साझेदार द्वारा नोटिस देते हुए फर्म का विघटन किया गया हो तो विघटन के बाद उसे कारोबार करने का अधिकार नहीं होता है—सुभाष चन्द्र अग्रवाल बनाम जिला न्यायाधीश, मथुरा, 1996 (1) ए० डब्ल्यू० सी० 262 : 1996 (2) ए० आर० सी० 216 ।

विघटन की नोटिस—फर्म का साझेदार विघटन की नोटिस देकर साझेदारी के कारोबार का अन्त नहीं कर सकता—अनन्ता पुरुषोत्तम अथावले बनाम गोविन्द पुरुषोत्तम अथावले एवं अन्य, ए० आई० आर० 2005 बाम्बे 301 ।

44. न्यायालय द्वारा विघटन—किसी भागीदार के बाद पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर फर्म को विघटित कर सकेगा, अर्थात्—

- यह कि कोई भागीदार विकृतचित्त हो गया है, जिस दशा में उस व्यक्ति के, जो विकृतचित्त हो गया है, बाद मित्र द्वारा बाद वैसे ही लाया जा सकेगा जैसे किसी दूसरे भागीदार द्वारा;
- यह कि कोई भागीदार, जो बाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, भागीदार के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है;

- (c) that a partner, other than the partner suing, is guilty of conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on of the business, regard being had to the nature of the business;
- (d) that a partner, other than the partner suing, willfully or persistently commits breach of agreements relating to the management of the affairs of the firm or the conduct of its business, or otherwise so conducts himself in matters relating to the business that it is not reasonably practicable for the other partners to carry on the business in partnership with him;
- (e) that a partner, other than the partner suing, has in any way transferred the whole of his interest in the firm to a third party, or has allowed his share to be charged under the provisions of Rule 49 of Order XXI of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), or has allowed it to be sold in the recovery of arrears of land revenue due by the partner; or
- (f) that the business of the firm cannot be carried on save at a loss; or
- (g) on any other ground which renders it just and equitable that the firm should be dissolved.
- 45. Liability for acts of partners done after dissolution.—**(1) Notwithstanding the dissolution of a firm, the partners continue to be liable as such to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the dissolution, until public notice is given of the dissolution:
- Provided that the estate of a partner who dies, or who is adjudicated an insolvent, or of a partner who, not having been known to the person dealing with the firm to be a partner, retires from the firm, is not liable under this section for acts done after the date on which he ceases to be a partner.
- (2) Notices under sub-section (1) may be given by any partner.

46. Right of partners to have business wound up after dissolution.—On the dissolution of a firm every partner or his representative is entitled, as against all the other partners or their representatives, to have the property of the firm applied in payment of the debts and liabilities of the firm, and to have the surplus distributed among the partners or their representatives according to their rights.

47. Continuing authority of partners for purposes of winding up.—After the dissolution of a firm the authority of each partner to bind the firm, and the other mutual rights and obligations of the partners, continue notwithstanding the dissolution, so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete transactions begun but unfinished at the time of the dissolution, but not otherwise:

Provided that the firm is in no case bound by the acts of a partner who has been adjudicated insolvent; but this proviso does not affect the liability of any person who has after the adjudication represented himself

- (ग) यह कि कोई भागीदार, जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, ऐसे आचरण का दोषी है जिससे कारबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उस कारबार के चलाने पर प्रतिफल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है;
- (घ) यह कि कोई भागीदार, जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, ऐसे कार्यों का भंग जानबूझकर या बार-बार करता है जो फर्म के कामकाज के प्रबन्ध या फर्म के कारबार के संचालन से संबंधित हों या अन्यथा उस कारबार के सम्बन्धित बातों में ऐसा अपना आचरण रखता है कि उसके साथ भागीदारों से वह कारबार करना दूसरे भागीदारों के लिए युक्तियुक्तः साध्य नहीं है;
- (ङ) यह कि किसी भागीदार ने, जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, फर्म में का अपना सम्पूर्ण हित किसी पर-व्यक्ति को किसी प्रकार से अन्तर्हित कर दिया है, या अपने अंश को स्थितल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 49 के अधीन भारत हो जाने दिया है अथवा अपने द्वारा शोध्य भू-राजस्व की बकाया की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली या किन्हीं शोध्यों की वसूली में विक जानि दिया है;
- (च) यह कि फर्म का कारबार हानि उठाए बिना नहीं चलाया जा सकता; अथवा
- (छ) किसी अन्य ऐसे आधार पर, जिसने इस बात को न्यायसंगत और साम्यपूर्ण बना दिया हो कि फर्म विघटित कर दी जाए।

45. विघटन के पश्चात् किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व—(1) फर्म का विघटन हो जाने पर भी, जब तक विघटन की लोक सूचना न दे दी जाए, भागीदार उनमें से किसी के द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य के लिए, जो विघटन से पहले किया जाने पर फर्म का कार्य होता पर-व्यक्तियों के प्रति भागीदार के नाते दायी बने रहेंगे:

परन्तु जो भागीदार मर जाता है या दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है, या जो भागीदार, उसका भागीदार होना फर्म के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को ज्ञात न होते हुए, फर्म से निवृत्त हो जाता है, उसकी सम्पदा उसके भागीदार न रहने की तारीख के पश्चात् किए गए कार्यों के लिए इस धारा के अधीन दायी न होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचनाएं किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकेंगी।

46. विघटन के पश्चात् कारबार का परिसमापन कराने का भागीदारों का अधिकार—फर्म के विघटन पर हर भागीदार या उसके प्रतिनिधि को अन्य सब भागीदारों या उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध यह हक है कि वह फर्म की सम्पत्ति को फर्म के ऋणों और दायित्वों के संदाय में उपयोजित करे और अधिशेष को भागीदारों या उनके प्रतिनिधियों में उनके अधिकारों के अनुसार वितरित करे।

47. परिसमापन के प्रयोजनों के लिए भागीदारों का सतत प्राधिकार—हर एक भागीदार का फर्म को आबद्ध करने का प्राधिकार और भागीदारों के अन्य पारस्परिक अधिकार और बाध्यांतर फर्म का विघटन हो जाने पर भी फर्म के विघटन के पश्चात् वहाँ तक बने रहते हैं जहाँ तक कि वे फर्म के कामकाज के परिसमापन के लिए और आरम्भ किए गए किन्तु विघटन के समय अधूरे रह गए संबन्धनों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों, किन्तु अन्यथा नहीं:

परन्तु फर्म किसी ऐसे भागीदार के कार्यों के द्वारा, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है, किसी दशा में भी आबद्ध नहीं है किन्तु यह परन्तुक किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं

or knowingly permitted himself to be represented as a partner of the insolvent.

48. Mode of settlement of accounts between partners.—In settling the accounts of a firm after dissolution, the following rules shall, subject to agreement by the partners, be observed:—

- losses, including deficiencies of capital, and, lastly, if necessary, by the partners individually in the proportions in which they were entitled to share profits;
- the assets of the firm, including any sums contributed by the partners to make up deficiencies of capital, shall be applied in the following manner and order:—
 - in paying the debts of the firm to third parties;
 - in paying to each partner rateably as distinguished from the firm for advances as distinguished from capital;
 - in paying to each partner rateably what is due to him on account of capital; and
 - the residue, if any, shall be divided among the partners in the proportions in which they were entitled to share profits.

49. Payment of firm debts and separate debts.—Where there are joint debts due from the firm, and also separate debts due from any partner, the property of the firm shall be applied in the first instance in payment of the debts of the firm, and, if there is any surplus, then the share of each partner shall be applied in payment of his separate debts or paid to him. The separate property of any partner shall be applied first in the payment of his separate debts, and the surplus (if any) in the payment of the debts of the firm.

50. Personal profits earned after dissolution.—Subject to contract between the partners, the provisions of clause (a) of Section 16 shall apply to transactions by any surviving partner or by the representatives of a deceased partner, undertaken after the firm is dissolved on account of the death of a partner and before its affairs have been completely wound up: Provided that where any partner or his representative has bought the goodwill of the firm, nothing in this section shall affect his right to use the firm name.

51. Return of premium on premature dissolution.—Where a partner has paid a premium on entering into partnership of a fixed term, and the firm is dissolved before the expiration of that term otherwise than by the death of a partner, he shall be entitled to repayment of the premium or of such part thereof as may be reasonable, regard being had to the terms upon which he became a partner and to the length of time during which he was partner, unless—

- the dissolution is mainly due to his own misconduct, or
- the dissolution is in pursuance of an agreement containing no provision for the return of the premium or any part of it

जालता जिसने उस न्यायनिर्णयन के परचाए अपने को इस दिवालिये का भागीदार होना व्यक्तित्व किया है या जानते हुए व्यक्तित्व किया जाने दिया है।

48. भागीदारों के बीच लेखा परिनिर्धारण का ढंग—विघटन के परचाए फर्म के लेखा परिनिर्धारण में भागीदारों द्वारा किए गए करार के अधधीन, निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा—

- हानियाँ जिनके अनर्गत पूँजी की कमियाँ भी आती हैं, प्रथमतः लाभों में से, तत्परचाए पूँजी में से और अन्त में यदि आवश्यक हो, भागीदारों द्वारा व्यक्तित्व: उसी अनुपात में संदाय की जाएगी जिनमें वे लाभों का अंश पाने के लिए हकदार थे,
- फर्म की आस्तियाँ जिनके अनर्गत पूँजी की कमी को पूरा करने के लिए भागीदारों द्वारा अभिदाय की गई रकम भी आती है, निम्नलिखित प्रकार और क्रम से उपयोजित की जाएगी—
 - फर्म पर-व्यक्तियों के ऋणों का संदाय करने में,
 - हर एक भागीदार को फर्म द्वारा उसे शोध्य उन अभिदायों का जो पूँजी से सुविधन हों, अनुपाती संदाय करने में,
 - हर एक भागीदार को पूँजी लेखे जो शोध्य हो उसका अनुपाती संदाय करने में तथा
 - अवशिष्ट, यदि कुछ रहे, तो वह भागीदारों में उस अनुपात में, जिसमें वे लाभों का अंश पाने के हकदार थे, बाँट दिया जाएगा।

49. फर्म के ऋणों और पृथक् ऋणों का संदाय—जहाँ कि फर्म द्वारा शोध्य संयुक्त ऋण है और किसी भागीदार द्वारा शोध्य पृथक् ऋण भी है, वहाँ फर्म की सम्पत्ति का उपयोगन प्रथमतः फर्म के ऋणों के संदाय में किया जाएगा और यदि कुछ अधिशेष रहे तो उसमें का हर एक भागीदार का अंश उसके पृथक् ऋणों के संदाय में उपयोजित किया जाएगा या उसको दे दिया जाएगा। किसी भी भागीदार की पृथक् सम्पत्ति का उपयोगन पहले उसके पृथक् ऋणों के संदाय में और, यदि कुछ अधिशेष रहे, तो फर्म के ऋणों के संदाय में किया जाएगा।

50. विघटन के परचाए उपार्जित वैयक्तिक लाभ—भागीदारों के बीच की संविदा के अधधीन यह है कि धारा 16 के खंड (क) के उपबन्ध उन संख्यवहारों को लागू होंगे जिनका उपक्रम किसी भागीदार की मृत्यु के कारण फर्म का विघटन हो जाने के परचाए और उसके सब कामकाज का पूर्ण रूप से परिसमापन होने के पूर्व, किसी उत्तरजीवी भागीदार द्वारा या किसी मृत भागीदार के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया हो:

परन्तु जहाँ कि किसी भागीदार या उसके प्रतिनिधि ने फर्म का गुडविल खरीद लिया है, वहाँ इस धारा की कोई भी बात फर्म नाम के उपयोग में लाने के उसके अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

51. समयपूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी—जहाँ कि किसी भागीदार ने भागीदारी में किसी नियत अवधि के लिए प्रवेश करते समय कोई प्रीमियम दिया है और उस अवधि का अवसान होने के पूर्व ही वह फर्म किसी भागीदार की मृत्यु के सिवाय किसी अन्य कारण से, विघटित हो जाती है, वहाँ वह भागीदार उस प्रीमियम के या उसके ऐसे भाग का प्रतिसंदाय पाने का हकदार होगा जो उन निबन्धनों को, जिन पर वह भागीदार बना था, और उस समय की लम्बाई को, जिनके दौरान वह भागीदार रहा, ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हो, जब तक कि—

- विघटन मुख्यतया उनके अपने अवचार के कारण न हुआ हो, अथवा
- विघटन ऐसे कारण के अनुसरण में न हुआ हो जिसमें उस प्रीमियम या उसके किसी भाग के वापस करने के विषय में कोई उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।

21 • Ss. 52-55

52. Rights where partnership contract is rescinded for fraud or misrepresentation.—Where a contract creating partnership is rescinded on the ground of the fraud or misrepresentation of any other right, thereto, the party entitled rescind is, without prejudice to any other right, entitled—

- to a lien on, or a right of retention of, the surplus or the assets of the firm remaining after the debts of the firm have been paid, for any sum paid by him for the purchase of a share in the firm and for any capital contributed by him;
- to rank as a creditor of the firm in respect of any payment made by him towards the debt of the firm; and
- to be indemnified by the partner or partners guilty of the fraud or misrepresentation against all the debts of the firm.

53. Right to restrain from use of firm name or firm property.—After a firm is dissolved, every partner or his representative may, in the absence of a contract between the partners to the contrary, restrain any other partner or his representative from carrying on a similar business in the firm name or from using any of the property of the firm for his own benefit, until the affairs of the firm have been completely wound up:

Provided that where any partner or his representative has bought the goodwill of the firm, nothing in this section shall affect his right to use the firm name.

NOTES

Applicability of.—Applicability of Section 53 cannot be pressed in aid to restrain the activities of a newly constituted firm after dissolution and final settlement of accounts of the previous firm.—Smt. Kusuma Gupta v. Sarla Devi, 1988 (1) AWC 459.

Temporary injunction not as a matter of right.—Temporary injunction cannot be claimed as a matter of right upon the dissolution of the partnership where the rights of parties can be fully protected without it.—Smt. Kusuma Gupta v. Sarla Devi, 1988 (1) AWC 459.

54. Agreements of restraint of trade.—Partners may, upon or in anticipation of the dissolution of the firm, make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits; and notwithstanding anything contained in Section 27 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable.

55. Sale of goodwill after dissolution.—(1) In settling the accounts of a firm after dissolution, the goodwill shall, subject to contract between the partners, be included in the assets, and it may be sold either separately or along with other property of the firm.

(2) Rights of buyer and seller of goodwill.—Where the goodwill of a firm is sold after dissolution, a partner may carry on a business competing with that of the buyer and he may advertise such business, but, subject to agreement between him and the buyer, he may not—

52. अधिकार, जहाँ कि भागीदारों की संविदा कपट या दुर्व्यपदेशन के कारण विखंडित कर दी गई है—जहाँ भागीदारी सृष्ट करने वाली संविदा उसके पक्षकारों में से किसी के कपट या दुर्व्यपदेशन के आधार पर विखंडित कर दी जाती है, वहाँ विखंडित करने का हक रखने वाला पक्षकार अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित का हकदार होगा—

- फर्म के अंश क्रय करने के निमित्त अपने द्वारा दी गई किसी राशि के लिए और अपने द्वारा अभिदत्त किसी पूँजी के लिए फर्म के उस अधिशेष या आस्तियों पर, जो फर्म के ऋणों के संदाय के पश्चात् अवशिष्ट हों, धारणाधिकार का या उनके प्रतिधारण के अधिकार का,
- फर्म के ऋणों मद्धे अपने द्वारा किए गए किसी संदाय के बारे में फर्म के लेनदारों की पॉक में रखे जाने का, तथा
- फर्म के सब ऋणों की बाबत क्षतिपूर्ति उस भागीदार या उन भागीदारों से पाने का जो उस कपट या दुर्व्यपदेशन के दोषी हों।

53. फर्म नाम या फर्म की सम्पत्ति को उपयोग में लाने से अवरुद्ध करने का अधिकार—फर्म के विघटित हो जाने के पश्चात्, हर भागीदार या उसका प्रतिनिधि, भागीदारों के बीच की किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, किसी भी अन्य भागीदार को या उसके प्रतिनिधि को, तब तक के लिए फर्म नाम से समरूप कारबार करने से या फर्म की किसी सम्पत्ति को अपने निजी फायदे के लिए उपयोग में लाने से अवरुद्ध कर सकेगा, जब तक फर्म के कामकाज का पूरा तरह परिसमापन नहीं हो जाता :

परन्तु जहाँ किसी भागीदार या उसके प्रतिनिधि ने फर्म का गुडविल खरीद लिया है, वहाँ इस धारा की कोई भी बात फर्म नाम को उपयोग में लाने के उसके अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

टिप्पणियाँ

प्रयोज्यता—पूर्व फर्म के विघटन तथा लेखों का अन्तिम विघटन के बाद नव श्रुजित फर्म क्रियाकलाप लेकने के उद्देश्य से धारा 53 की प्रयोज्यता पर बल नहीं दिया जा सकता—श्रीमती कुसुमा गुप्ता बनाम श्रीमती सरला देवी, 1988 (1) ए० डब्ल्यू० सी० 459।

अस्थायी व्यादेश अधिकार स्वरूप नहीं—साझेदारी के विघटन के बाद अस्थायी व्यादेश का अधिकार स्वरूप दत्ता वहाँ नहीं किया जा सकता जहाँ पक्षकारों के अधिकार उसके बिना भी पूर्णतया सुरक्षित रखा जा सकता है—श्रीमती कुसुमा गुप्ता बनाम श्रीमती सरला देवी, 1988 (1) ए० डब्ल्यू० सी० 459।

54. व्यापार अवरोधो करार—फर्म के विघटन पर या विघटन के पूर्वानुमान पर भागीदार यह करार कर सकेंगे कि उनमें से कुछ या वे सब किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के या विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदृश्य कारबार नहीं चलाएंगे और यदि अधिशेषित निर्बन्धन युक्तियुक्त हों, तो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिमन्य होगा।

55. विघटन के पश्चात् गुडविल का विक्रय—(1) विघटन के पश्चात् फर्म के लेखा परिनिधारण में गुडविल, भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन रहते हुए, आस्तियों में सम्मिलित किया जाएगा और वह या तो पृथक् रूप से या फर्म की अन्य सम्पत्ति के साथ-साथ बेचा जा सकेगा।

(2) गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार—जहाँ कि फर्म का गुडविल विघटन के पश्चात् बेचा जाता है, वहाँ भागीदार क्रेता के कारबार का प्रतियोगी कारबार चला सकेगा और वह ऐसे कारबार का विज्ञापन कर सकेगा, किन्तु अपने और क्रेता के बीच के करार के अध्यक्षीन चर निम्नलिखित न कर सकेगा—

- (a) use the firm name,
 (b) represent himself as carrying on the business of the firm, or
 (c) solicit the custom of persons who were dealing with the firm before its dissolution.

(3) *Agreements in restraint of trade.*—Any partner may, upon the sale of the goodwill of a firm, make an agreement with the buyer that such a partner will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits, and, notwithstanding anything contained in Section 27 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable.

CHAPTER VII REGISTRATION OF FIRMS

56. *Power to exempt from application of this Chapter.*—The State Government of any State, may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of this Chapter shall not apply to that State or to any part thereof specified in the notification.

57. *Appointment of Registrars.*—(1) The State Government may appoint Registrars of Firms for the purposes of this Act, and may define the areas within which they shall exercise their powers and perform their duties.

(2) Every Registrar shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

58. *Application for registration.*—(1) The registration of a firm may be effected at any time by sending by post or delivering to the Registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated, a statement in the prescribed form and accompanied by the prescribed fee, stating—

- (a) the firm name,
 (b) the place or principal place of business of the firm,
 (c) the names of any other places where the firm carries on business,
 (d) the date when each partner joined the firm,
 (e) the names in full and permanent addresses of the partners, and
 (f) the duration of the firm.

The statement shall be signed by all the partners, or by their agents specially authorised in this behalf.

(2) Each person signing the statement shall also verify it in the manner prescribed.

(3) A firm name shall not contain any of the following words, namely:—

“Crown”, “Emperor”, “Empress”, “Empire”, “Imperial”, “King”, “Queen”, “Royal”, or words expressing or implying the sanction, approval or patronage of Government, except when the State Government signifies its consent to the use of such words as part of the firm name by order in writing.

- (क) फर्म नाम का उपयोग में लाना,
 (ख) यह व्यपदिष्ट करना कि वह फर्म का कारबार चला रहा है, अथवा
 (ग) जो व्यक्ति फर्म के विषय में पूर्व फर्म से व्यवहार करते थे उनमें अपने साथ व्यवहार करने की याचना।

(3) *व्यापार अवरोधी कारर*—कोई भी भागीदार फर्म के गुडविल के विक्रय पर क्रैला से यह कारर कर सकता कि ऐसा भागीदार किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के या स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदृश कोई कारबार नहीं चलाएगा, और यदि अधिरोपित निवन्धन युक्तिकमुक्त हो तो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करना विधिमत्त होगा।

अध्याय 7

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण

56. इस अध्याय से लागू होने से छूट देने की शक्ति—किसी राज्य की राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती कि इस अध्याय के उपबन्ध उस राज्य की या उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उसके किसी भाग को लागू नहीं होंगे।

57. *रजिस्ट्रारों की नियुक्ति*—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फर्मों के रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती और उन क्षेत्रों को परिभाषित कर सकती जिनमें वे अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(2) हर रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

58. *रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन*—(1) फर्म का रजिस्ट्रीकरण उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को, जिसमें उस फर्म के कारबार का कोई स्थान स्थित है या स्थित किया जाना प्रस्तापित है, विहित प्ररूप में और विहित फीस सहित ऐसा कथन जिसमें निम्नलिखित कथित हों, डाक द्वारा भेज कर या परिदत्त करके किसी भी समय कराया जा सकता—

- (क) फर्म का नाम,
 (ख) फर्म के कारबार का स्थान या मुख्य स्थान,
 (ग) उन अन्य स्थानों के नाम जिनमें फर्म कारबार चलाती है,
 (घ) वह तारीख जिसको हर एक भागीदार फर्म में शामिल हुआ,
 (ङ) भागीदारों के पूरे नाम और स्थायी पते, तथा
 (च) फर्म की अस्तित्वावधि।

यह कथन सब भागीदारों द्वारा या उनके ऐसे अधिकर्ताओं द्वारा जो इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत हों हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) कथन को हस्ताक्षरित करने वाला हर एक व्यक्ति विहित प्रकार से उसे सत्यापित भी करेगा।

(3) फर्म नाम में निम्नलिखित शब्दों में से किसी का भी, अर्थात्—

“क्राउन”, “एम्पार”, “एम्प्रेस”, “एम्पायर”, “एम्पीरियल”, “किंग”, “क्वीन”, “रायल” या ऐसे शब्दों का, जिनसे सरकार को मंजूरी, अनुमोदन या प्रतिश्रय अभिव्यक्त या विवक्षित होता हो, उपयोग न किया जाएगा सिवाय जब कि राज्य सरकार ने फर्म नाम के भाग-स्वरूप ऐसे शब्दों के उपयोग के लिए अपनी सम्मति लिखित आदेश द्वारा दे दी हो।

59. **Registration.**—When the Registrar is satisfied that the provisions of Section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in a register called the Register of Firms, and shall file the statement.

60. **Recording of alterations in firm name and principal place of business.**—(1) When an alteration is made in the firm name or in the location of the principal place of business of a registered firm, a statement may be sent to the Registrar accompanied by the prescribed fee, specifying the alteration, and signed and verified in the manner required under Section 58.

(2) When the Registrar is satisfied that the provisions of sub-section (1) have been duly complied with, he shall amend the entry relating to the firm in the Register of Firms in accordance with the statement, and shall file it along with the statement relating to the firm filed under Section 59.

61. **Noting of closing and opening of branches.**—When a registered firm discontinues business at any place or begins to carry on business at any place, such place not being its principal place of business, any partner or agent of the firm may send intimation thereof to the Registrar, who shall make a note of such intimation in the entry relating to the firm in the Register of Firms, and shall file the intimation along with the statement relating to the firm filed under Section 59.

62. **Noting of changes in names and addresses of partners.**—When any partner in a registered firm alters his name or permanent address, an intimation of the alteration may be sent by any partner or agent of the firm to the Registrar, who shall deal with it in the manner provided in Section 61.

63. **Recording of changes in and dissolution of a firm.**—(1) When a change occurs in the constitution of a registered firm any incoming, continuing or outgoing partner, and when a registered firm is dissolved, any person who was a partner immediately before the dissolution, or the agent of any such partner or person specially authorised in this behalf, may give notice to the Registrar of such change or dissolution, specifying the date thereof; and the Registrar shall make a record of the notice in the entry relating to the firm in the Register of Firms, and shall file the notice along with the statement relating to the firm filed under Section 59.

(2) **Recording of withdrawal of a minor.**—When a minor who has been admitted to the benefits of partnership in a firm attains majority and elects to become or not to become a partner, and the firm is then a registered firm, he, or his agent specially authorised in this behalf, may give notice to the Registrar that he has or has not become a partner, and the Registrar shall deal with the notice in the manner provided in sub-section (1).

64. **Rectification of mistakes.**—(1) The Registrar shall have power at all times to rectify any mistake in order to bring the entry in the Register of Firms relating to any firm into conformity with the documents relating to that firm filed under this Chapter.

59. **रजिस्ट्रीकरण**—जब कि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि धारा 58 के उपबन्धों का सम्पूर्ण रूप से अनुवर्तन हो गया है, तब वह फर्मों का रजिस्ट्रार नामक रजिस्ट्रार में उस कथन की प्रविष्टि अभिलिखित करेगा और उस कथन को फाइल कर देगा।

60. **फर्म नाम में और कारबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख**—(1) जब कि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के फर्म नाम में या कारबार के मुख्य स्थान की स्थिति में कोई परिवर्तन किया जाएगा, तब विहित फीस के साथ रजिस्ट्रार के पास एक ऐसा कथन भेजा जा सकता जिसमें उस परिवर्तन का विनिर्देश हो और जो धारा 58 के अधीन अपेक्षित प्रकार के हस्ताक्षरित और सत्यापित हो।

(2) जब कि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि उपधारा (1) के उपबन्धों का सम्पूर्ण रूप से अनुवर्तन हो गया है तब वह फर्म रजिस्ट्रार में उस फर्म सम्बन्धी प्रविष्टि को उस कथन के अनुसार संशोधित करेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ उसे फाइल कर देगा।

61. **शाखाओं के बन्द करने और खोलने का टिप्पणित किया जाना**—जब कि कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म किसी ऐसे स्थान पर अपना कारबार बन्द या चलाना आरम्भ करे जो उसके कारबार का मुख्य स्थान न हो तब उस फर्म का कोई भी भागीदार या अधिकर्ता उसकी प्रज्ञापना रजिस्ट्रार को भेज सकता या जो फर्म रजिस्ट्रार में उस फर्म सम्बन्धी प्रविष्टि में ऐसी प्रज्ञापना का टिप्पणन करा लेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ उस प्रज्ञापन को फाइल कर देगा।

62. **भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणित किया जाना**—जब कि रजिस्ट्रीकृत फर्म का कोई भागीदार अपने नाम या स्थायी पते में कोई परिवर्तन करे, तब फर्म के किसी भी भागीदार या अधिकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार को उस परिवर्तन की प्रज्ञापना भेजी जा सकती और रजिस्ट्रार उससे उसी प्रकार बरतेंगा जैसा धारा 61 में उपबन्धित है।

63. **फर्म में तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेखन अप्राप्तवय के प्रत्याहरण का अभिलेखन**—(1) जब कि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के गठन में कोई तब्दीली हो तब अन्तर जाने वाला, बना रहने वाला या बाहर जाने वाला कोई भी भागीदार और जबकि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म का विघटन हो, तब कोई भी व्यक्ति, जो विघटन से अव्यवहित रहले भागीदार रहा हो, या किसी भी भागीदार या व्यक्ति का इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत अधिकर्ता रजिस्ट्रार को ऐसी तब्दीली या विघटन की तारीख का विनिर्देश करते हुए उसकी सूचना देगा और रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्ट्रार में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि में उस सूचना का अभिलेखन करेगा और सूचना को धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ फाइल कर देगा।

(2) **अप्राप्तवय के प्रत्याहरण का अभिलेखन**—जब कि कोई अप्राप्तवय जो किसी फर्म में भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया हो, प्राप्तवय हो जाए और भागीदार बनाने का या न बनाने का निर्वाचन कर ले और फर्म उस समय रजिस्ट्रीकृत फर्म हो तब वह या इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत उसका अधिकर्ता रजिस्ट्रार को यह सूचना दे सकेगा कि वह भागीदार बन गया है या नहीं बना है और रजिस्ट्रार उस सूचना से उसी प्रकार बरतेंगा जैसा उपधारा (1) में उपबन्धित है।

64. **भूलों का परिशोधन**—(1) रजिस्ट्रार को यह शक्ति हर समय होगी कि फर्मों के रजिस्ट्रार में की किसी प्रविष्टि को जो किसी भी फर्म के संबंधित हो इस अध्याय के अधीन फाइल की गई उस फर्म संबंधी दस्तावेजों के अनुरूप बनाने के लिए किसी भी भूल का परिशोधन करे।

(2) On application made by all the parties who have signed any document relating to a firm filed under this Chapter, the Registrar may rectify any mistake in such document or in the record or note thereof made in the Register of Firms.

65. Amendment of Register by order of Court.—A Court deciding any matter relating to a registered firm may direct that the Registrar shall make any amendment in the entry in the Register of Firms relating to such firm which is consequential upon its decision; and the Registrar shall amend the entry accordingly.

66. Inspection of Register and filed documents.—(1) The Register of Firms shall be open to inspection by any person on payment of such fee as may be prescribed.

(2) All statements, notices and intimations filed under this Chapter shall be open to inspection, subject to such conditions and on payment of such fee as may be prescribed.

67. Grant of copies.—The Registrar shall on application furnish to any person, on payment of such fee as may be prescribed, a copy, certified under his hand, of any entry or portion thereof in the Register of Firms.

68. Rules of evidence.—(1) Any statement, intimation or notice recorded or noted in the Register of Firms shall, as against any person by whom or on whose behalf such statement, intimation or notice was signed, be conclusive proof of any fact therein stated.

(2) A certified copy of an entry relating to a firm in the Register of Firms may be produced in proof of the fact of the registration of such firm, and of the contents of any statement, intimation or notice recorded or noted therein.

69. Effect of non-registration.—(1) No suit to enforce a right arising from a contract or conferred by this Act shall be instituted in any Court by or on behalf of any person suing as a partner in a firm against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in the firm unless the firm is registered and the person suing is or has been shown in the Register of Firms as a partner in the firm.

(2) No suit to enforce a right arising from a contract shall be instituted in any Court by or on behalf of a firm against any third party unless the firm is registered and the persons suing are or have been shown in the Register of Firms as partners in the firm.

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall apply also to a claim of set-off or other proceeding to enforce a right arising from a contract, but shall not effect—

- the enforcement of any right to sue for the dissolution of a firm or for accounts of a dissolved firm, or any right or power to realise the property of a dissolved firm, or
- the powers of an official assignee, receiver or Court under the Presidency-towns Insolvency Act, 1909 (3 of 1909), or the Provincial Insolvency Act, 1920 (5 of 1920), to realise the property of an insolvent partner.

(2) उन सब पक्षकारों के आवेदन पर, जिन्होंने इस अध्याय के अधीन फाइल की गई फर्मों संबंधी किसी दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया है, रजिस्टर ऐसी किसी भी भूल का परिशोधन कर सकेगा जो ऐसी दस्तावेज में या फर्मों के रजिस्टर में किए गए उसके अभिन्नख या टिप्पणों में हो।

65. न्यायालय के आदेश से रजिस्टर का संशोधन—रजिस्ट्रीकृत फर्म से संबंधित किसी भी मामले का विनिश्चय करने वाला न्यायालय यह निर्दिष्ट दे सकेगा कि रजिस्टर फर्मों के रजिस्टर में ऐसी फर्म से संबंधित प्रविष्टि में ऐसा कोई भी संशोधन करे, जो उसके विनिश्चय के परिणामस्वरूप और रजिस्ट्रार तत्संसार उस प्रविष्टि का संशोधन करेगा।

66. रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेजों का निरीक्षण—(1) फर्मों का रजिस्टर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(2) इस अध्याय के अधीन फाइल किए गए सब कथन, सूचनाएं और प्रज्ञापनाएं ऐसी शर्तों के अध्याधीन और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।

67. प्रतियों का दिया जाना—किसी भी व्यक्ति को उसके आवेदन पर रजिस्ट्रार ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की गई हो, फर्मों के रजिस्टर में की किसी भी प्रविष्टि या उसके किसी भी भाग की अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति देगा।

68. साक्ष्य के नियम—(1) फर्मों के रजिस्टर में अभिलिखित या टिप्पणित कोई भी कथन, प्रज्ञापना या सूचना उसमें कथित किसी भी तथ्य का निश्चायक समूत उस व्यक्ति के विरुद्ध होगी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा कथन, प्रज्ञापन या सूचना हस्ताक्षरित की गई थी।

(2) फर्मों के रजिस्टर में की किसी फर्म से संबंधित किसी भी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति उस फर्म के रजिस्ट्रीकरण के तथ्य के तथा उसमें अभिलिखित या टिप्पणित किसी भी कथन, प्रज्ञापना या सूचना की अन्तर्दत्त के समूत में पेश की जा सकेगी।

69. रजिस्ट्री न कराने का प्रभाव—(1) कोई भी वाद जो किसी संबिदा से उद्भूत या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाए किसी फर्म के भागीदार के नाते वाद लाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या की ओर से उस फर्म के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसका उस फर्म में भागीदार होना या रहा होना अभिभावित हो, किसी भी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाला व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में उस फर्म के भागीदार के तौर पर दर्शित न रह चुका हो।

(2) कोई भी वाद जो किसी संबिदा से उद्भूत किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाए फर्म द्वारा या की ओर से किसी भी न्यायालय में किसी पर-व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित न किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाले व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में फर्म के भागीदारों के तौर पर दर्शित न हो या दर्शित न रह चुके हों।

(3) उपधाराओं (1) और (2) के उपबन्ध किसी संबिदा में उद्भूत किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाए जाने वाली मुजराई के दावे या अन्य कार्रवाई को भी लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेंगे,—

- किसी फर्म के विघटन के लिए या किसी विघटित फर्म का लेखा लेने के लिए, वाद लाने के किसी अधिकार के या किसी विघटित फर्म की सम्पत्ति प्राप्त करने के किसी भी अधिकार या शक्ति के प्रवर्तन पर, अथवा
- किसी विवाहिया भागीदार की सम्पत्ति को प्राप्त करने की किसी शासकीय समनुदेशित, रिसीवर या न्यायालय की प्रसीडेंसी नगर दिवालता अधिनियम, 1909 (1909 का 3) या प्रांतीय दिवालता अधिनियम, 1920 (1920 का 5) के अधीन शक्तियों पर।

(4) This section shall not apply—

- (a) to firms or to partners in firms which have no place of business in the territories to which this Act extends, or whose places of business in the said territories are situated in areas to which, by notification under Section 56, this Chapter does not apply, or
- (b) to any suit or claim of set-off not exceeding one hundred rupees in value which in the Presidency-towns, is not of a kind specified in Section 19 of the Presidency Small Cause Courts Act, 1882 (5 of 1882), or, outside the Presidency-towns, is not of a kind specified in the Second Schedule to the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (9 of 1887), or to any proceeding in execution or other proceeding incidental to or arising from any such suit or claim.

NOTES

Appointment of arbitrator.—An application for appointment of an arbitrator in a suit filed by one of the partners of non-registered firm against the others amounts to suit for dissolution of firm or claiming share from the assets of the firm and rejection of application for appointment of arbitrator is not proper.—*Mulakh Raj v. Smt. Shashi Rani and another*, AIR 2005 Del 374.

Claim against unregistered firm.—Claim petition under Motor Vehicles Act against an unregistered firm is not barred by Section 69 of the partnership Act.—*Sheo Kumar Sharma v. Smt. Surendra Kaur*, 1987 (1) AWC 498; 1987 ALJ 1395.

Maintainability of suit.—A suit by the partner of a dissolved firm for enforcement of right to realise property of dissolved firm is maintainable and bar of non-registration of firm cannot be attracted.

No enforcement of right by partner of unregistered partnership.—A partner in an unregistered partnership cannot enforce any right if the same arises out of a contract entered into by the partnership or partners thereof.—*Chhote Lal v. U. P. State Electricity Board*, 1989 (2) AWC 1157.

No suit by partner of unregistered firm.—A partner of an unregistered partnership firm cannot bring a suit to enforce a right arising out of a contract falling within the ambit of main part of this section.—*Krishna Motor Service v. H. B. Vithala Kamath*, 1996 (3) AWC 1366.

Subsequent registration of firm.—Subsequent registration of firm while suit is pending would cure the defect and bar under Section 69 would not apply.—*M/s. Sanyuktha Cotton Trading Co. v. Bheemnani Venkata Subbiah and others*, AIR 2005 AP 1.

Suit by partner of unregistered firm having no interest in subject-matter of suit.—A suit by the partner of unregistered firm having no personal interest in the subject-matter of the suit is barred by this section.—*Mahendra Singh Chaudhary v. Tej Ram Singh*, 1987 (1) AWC 1.

Suit for eviction not barred.—Where a suit for eviction by unregistered firm is based on provisions of Transfer of Property Act and was not based on any right arising from contract, the suit is not barred under Section 69 (2) of the Act.—*Punjab and Sindh Bank and another v. M/s. Manoran Agencies*, ALJ 2008 (NOC) 963 (All).

70. Penalty for furnishing of false particulars.—Any person who signs any statement, amending statement, notice or intimation under this Chapter containing any particulars which he knows to be false or does

(4) यह धारा निम्नलिखित को लागू न होगी—

- (क) ऐसी फर्मों को या फर्मों के भागीदारों को, जिनके कारबार का कोई स्थान जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, या जिनके कारबार के स्थान उक्त राज्यक्षेत्रों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जिनको धारा 56 के अधीन की गई अधिसूचना के कारण यह अध्याय लागू नहीं है, अथवा
- (ख) मूल्य में सौ रुपये से अनाधिक के किसी भी ऐसे वाद या मुजरई के दावे को, जो प्रेसिडेंसी नगरों में प्रेसिडेंसी तयुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किस्म का, या प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर प्रान्तीय तयुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 8) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किस्म का न हो अथवा निष्पत्ति में कि किसी भी कार्यवाही या अन्य कार्यवाही को जो ऐसे वाद या दावे से आनुपूर्णाक या उद्भूत हो।

टिप्पणियाँ

माध्यस्थ की नियुक्ति.—अपंजीकृत फर्म के साझेदार द्वारा दूसरे साझेदारों के विरुद्ध दाखिल किए गये वाद में माध्यस्थ की नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र फर्म के विघटन अथवा फर्म के उपकरणों में हिस्से का दावा करने की कोर्ट में आता है तथा माध्यस्थ की नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र का खारिज किया जाना उचित नहीं है—*मुलुख राज बनाम श्रीमती शशिशरणी एवं एक अन्य*, ए० आई० आर० 2005 दिल्ली 374।

अपंजीकृत फर्म के विरुद्ध दावा.—अपंजीकृत फर्म के विरुद्ध मॉटर यान अधिनियम के अन्तर्गत दावा साझेदारी अधिनियम की धारा 69 द्वारा बर्जित नहीं है—*शिव कुमार शर्मा बनाम श्रीमती सुरेश कौर*, 1987 (1) ए० डब्ल्यू० सी० 498; 1987 ए० एल० जे० 1395।

वाद की पोषणीयता.—विघटित फर्म की सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु अधिकार के प्रवर्तन के लिए विघटित फर्म के साझेदार द्वारा दाखिल किया गया वाद पोषणीय होता है तथा फर्म का पंजीकरण न कराने का बर्जित अप्रकृत नहीं किया जा सकता।

अपंजीकृत साझेदारी के साझेदार द्वारा अधिकार का प्रवर्तन नहीं.—अपंजीकृत साझेदारी का साझेदार उस दशा में अधिकार का प्रवर्तन नहीं कर सकता यदि वह साझेदारी अथवा उसके साझेदारी द्वारा की गयी सौविदा से उत्पन्न होता हो—*छोटे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्*, 1989 (2) ए० डब्ल्यू० सी० 1157।

अपंजीकृत फर्म के साझेदार द्वारा वाद नहीं.—अपंजीकृत फर्म का साझेदार इस धारा के मुख्य भाग की परिधि में आने वाले सौविदा से उत्पन्न अधिकार के प्रवर्तन के लिए वाद नहीं दाखिल कर सकता—*कृष्णा मोटर सर्विस बनाम एन० बी० बिटाला कामथ*, 1996 (3) ए० डब्ल्यू० सी० 1366।

फर्म का परचातवर्ती पंजीकरण.—वाद के लम्बित होते हुए फर्म का परचातवर्ती पंजीकरण श्रुति को परिसीधित कर देता है तथा धारा 69 के अन्तर्गत बर्जित लागू नहीं होगा—*मेसर्स समयुक्ता कॉटन ट्रेडिंग कंपनी बनाम भीमनैनी वेनकटा सूबैय्या एवं अन्य*, ए० आई० आर० 2005 आ० प्र० 11।

वाद के विषय-वस्तु में हित न रखने वाले अपंजीकृत फर्म के साझेदार द्वारा वाद.—वाद के विषय-वस्तु में व्यक्तिगत हित न रखने वाले अपंजीकृत फर्म के साझेदार द्वारा दाखिल किया गया वाद इस धारा द्वारा बर्जित है—*महेन्द्र सिंह चौधरी बनाम तेज राम सिंह*, 1987 (1) ए० डब्ल्यू० सी० 11।

बेटखली हेतु वाद बर्जित नहीं.—जहाँ अपंजीकृत फर्म द्वारा बेटखली हेतु वाद सम्पत्ति अन्तर्गत अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित हो तथा न कि सौविदा से उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार पर आधारित हो, वहाँ वाद अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत बर्जित नहीं होता है—*पंचाब एण्ड सिंध बैंक एवं एक अन्य बनाम मेसर्स मनोरम एजेंसीज*, 2008 ए० एल० जे० (एन० आर० सी०) 963 (इला०)।

70. मिथ्या विशिष्टियाँ देने के लिए शास्त्र.—कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी ऐसे कथन, संशोधक-कथन, सूचना या पत्रापत्र को हस्ताक्षरित करेगा, जिसमें कोई ऐ- विशिष्टि अन्तर्निहित है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है, या जिसके सत्य होने का वह विरव

not believe to be true, or containing particulars which he knows to be incomplete or does not believe to be complete, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine, or with both.

71. Power to make rules.—(1) The State Government may by notification in the Official Gazette make rules prescribing the fees which shall accompany documents sent to the Registrar of Firms, or which shall be payable for the inspection of documents in the custody of the Registrar of Firms, or for copies from the Register of Firms:

Provided that such fees shall not exceed the maximum fees specified in Schedule I.

(2) The State Government may also make rules—

- (a) prescribing the form of statement submitted under Section 58, and of the verification thereof;
 - (b) requiring statements, intimations and notices under Sections 60, 61, 62 and 63 to be in prescribed form, and prescribing the form thereof;
 - (c) prescribing the form of the Register of Firms, and the mode in which entries relating to firms are to be made therein, and the mode in which such entries are to be amended or notes made therein;
 - (d) regulating the procedure of the Registrar when disputes arise;
 - (e) regulating the filing of documents received by the Registrar;
 - (f) prescribing conditions for the inspection of original documents;
 - (g) regulating the grant of copies;
 - (h) regulating the elimination of registers and documents;
 - (i) providing for the maintenance and form of an index to the Register of Firms, and
 - (j) generally, to carry out the purposes of this Chapter.
- (3) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication.
- (4) Every rule made by the State Government under this section shall be laid, as soon as it is made, before the State Legislature.

CHAPTER VIII SUPPLEMENTAL

72. Mode of giving public notice—A public notice under this Act is given—

- (a) where it relates to the retirement or expulsion of a partner from a registered firm, or to the dissolution of a registered firm, or to the election to become or not to become a partner in a registered firm by a person attaining majority who was admitted as a minor to the benefits of partnership, by notice to the Registrar of Firms under Section 63, and by publication in the Official Gazette and in at least one vernacular newspaper circulating in the district where the firm to which it relate has its place or principal place of business, and

नहीं करता अथवा जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्दिष्ट हैं जिनका अपूर्ण होना वह जानता है या जिनके पूर्ण होने का वह विश्वास नहीं करता वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकता, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

71. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी जो वह फीस विहित करेंगे जो फर्म के रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी या उन दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए जो फर्मों के रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में हों या फर्मों के रजिस्ट्रार में की प्रतियों के लिए संदेय होंगी :

परन्तु ऐसी फीस अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अधिकतम फीसों से अधिक न होंगी।

(2) राज्य सरकार ऐसे नियम भी बना सकेगी जो—

- (क) धारा 58 के अधीन दिए जाने वाले कथन और उसके सत्यापन का प्ररूप विहित करेंगे,
 - (ख) यह अनिश्चित करेंगे कि धाराओं 60, 61, 62 और 63 के अधीन कथन, प्रज्ञापनाएं और सूचनाएं विहित प्ररूप में हों और उनका प्ररूप विहित करेंगे,
 - (ग) फर्मों के रजिस्ट्रार का प्ररूप और वह ढंग जिस ढंग से फर्मों सम्बन्धी प्रविष्टियां उसमें की जानी है तथा वह ढंग जिस ढंग से ऐसी प्रविष्टियां संशोधित की जानी हैं, या उनमें टिप्पण किए जाने हैं, विहित करेंगे,
 - (घ) विवादों के उद्भूत होने पर रजिस्ट्रार द्वारा अनुवर्तनीय प्रक्रिया विनियमित करेंगे,
 - (ङ) रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का फाइल किया जाना विनियमित करेंगे,
 - (च) मूल दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए, शर्तें विहित करेंगे,
 - (छ) प्रतियों का दिया जाना विनियमित करेंगे,
 - (ज) रजिस्ट्रारों और दस्तावेजों की छंटवाई विनियमित करेंगे,
 - (झ) फर्मों के रजिस्ट्रार की अनुक्रमणिका का रखा जाना और उसका प्ररूप उपबन्धित करेंगे, तथा
 - (ञ) साधारणतया इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए होंगे।
- (3) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम पूर्व प्रकाशन की शर्तें की अध्वधीन होंगे।
- (4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय 8 अनुसूचक

72. लोक सूचना देने का ढंग—इस नियम के अधीन लोक सूचना—

- (क) जहाँ कि वह, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म से किसी भागीदारी की निवृत्ति या निष्कासन से, या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म में ऐसे व्यक्ति के, जिसे भागीदार के फायदे के या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म निष्कासन से, या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के विघटन से या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म में ऐसे व्यक्ति के, जिसे भागीदार के फायदे में अग्रगण्य के तौर पर सम्मिलित कर लिया गया था प्राप्त वय होने पर भागीदार बन जाने के या न बनने के निर्वाचन से, सम्बन्धित है, वहाँ फर्मों के रजिस्ट्रार को धारा 63 के अधीन सूचना देकर और शासकीय राजपत्र में और देशी भाषा के कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका परिचालन उस जिले में हो, जिसमें उस फर्म का जिससे वह सूचना सम्बन्धित है, कारबार का स्थान या मुख्य स्थान है, प्रकाशन द्वारा दी जाती है, तथा

(b) in any other case, by publication in the Official Gazette in the district where the firm to which it relates has its place or principal place of business.

73. Repeals.—Rep. by the Repealing Act, 1938 (1 of 1938), Section 2 and Schedule.

74. Savings.—Nothing in this Act or any repeal effected thereby shall affect or be deemed to affect—

- any right, title, interest, obligation or liability already acquired, accrued or incurred before the commencement of this Act, or
- any legal proceeding or remedy in respect of any such right, title, interest, obligation or liability, or anything done or suffered before the commencement of this Act, or
- anything done or suffered before the commencement of this Act, or
- any enactment relating to partnership not expressly repealed by this Act, or
- any rule of insolvency relating to partnership, or
- any rule of law not inconsistent with this Act.

SCHEDULE I

MAXIMUM FEES

[See sub-section (1) of Section 71]

Document or act in respect of which the fee is payable	Maximum fee
Statement under Section 58	Three rupees
Statement under Section 60	One rupee
Intimation under Section 61	One rupee
Intimation under Section 62	One rupee
Notice under Section 63	One rupee
Application under Section 64	One rupee
Inspection of the Register of Firms under sub-section (1) of Section 66	Eight annas for inspecting one volume of the Register
Inspection of documents relating to a firm under sub-section (2) of Section 66	Eight annas for the inspection of all documents relating to one firm
Copies from the Register of Firms	Four annas for each hundred words or part thereof.

SCHEDULE II

[Enactments Repealed.]—Rep. by the Repealing Act, 1938 (1 of 1938), Section 2 and Schedule.

(ख) किसी भी अन्य दशा में, शासक्रीय राजपत्र में और देशी भाषा के कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में जिसका परिचालन उस जिले में हो, जहाँ फर्म के कारवार का स्थान का मुख्य स्थान है, प्रकाशन द्वारा दी जाती है।

73. [निरसन]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।

74. व्यावृत्तियाँ—इस अधिनियम की या एतद्द्वारा किए गए किसी निरसन में कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेगी और न प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी—

- इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई भी अधिकार, हक, हित, बाधता या दायित्व, अथवा
- ऐसे किसी भी अधिकार, हक, हित, बाधता या दायित्व के बारे में या किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई या सहन की गई हो, कोई विधिक कार्यवाही या उपचार, अथवा
- इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व की गई या सहन की गई कोई भी बात, अथवा
- भागीदारी सम्बन्धी कोई भी अधिनियमिती जो इस अधिनियम द्वारा अधिव्यक्त रूप से निरसित नहीं की गई है, अथवा
- भागीदारी से सम्बन्धित दिवाल्ये का कोई भी नियम, अथवा
- विधि का कोई भी नियम जो इस अधिनियम से असंगत न हो।

अनुसूची 1

अधिकतम फीस

[धारा 71 की उपधारा (1) देखिए]

दस्तावेज या कार्य जिसके विषय में फीस देय है	अधिकतम फीस
धारा 58 के अधीन कथन	तीन रुपए
धारा 60 के अधीन कथन	एक रुपया
धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	एक रुपया
धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	एक रुपया
धारा 63 के अधीन प्रज्ञापना	एक रुपया
धारा 64 के अधीन आवेदन	एक रुपया
धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के निरसित का निरीक्षण	रजिस्टर की एक जिल्द के निरीक्षण के लिए आठ आना।
धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्मों के सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण	एक फर्म से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आठ आना
फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियाँ	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए चार आना।

अनुसूची 2

[अधिनियमितियाँ निरसित]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।